सत्यमेव जयते
Ministry of Rural Development
Government of India

आजीविका AAJEEVIKA

बदलाव के सफ़रनामे: श्योपुर (मध्य प्रदेश) की समता सखियाँ

केस स्टडीज़ रिपोर्ट

ICRW
INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN

IWWAGE
INITIATIVE FOR WHAT WORKS TO ADVANCE WOMEN AND GIRLS IN THE ECONOMY

LEAD LEVERAGING EVIDENCE FOR ACCESS AND DEVELOPMENT
KREA UNIVERSITY

हमारे बारे में

इंटरनेशनल सेंटर फ़ॉर रिसर्च ऑन वुमेन (आई.सी.आर.डब्ल्यू.) एक वैश्विक शोध संस्थान है, जिसके क्षेत्रीय केंद्र वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका; नई दिल्ली, भारत; कंपाला, युगांडा; और नैरोबी, केन्या में स्थित हैं। 1976 में स्थापित आई.सी.आर.डब्ल्यू. इस तरह के शोध कार्य करता है जिनसे दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक और समुचित कार्रवाई में सक्षम समाधानों की पहचान की जा सके।

आई.सी.आर.डब्ल्यू. एशिया का काम जिन विषयों पर केंद्रित है उनमें शामिल हैं शिक्षा और आजीविका तक पहुँच, किशोरों और किशोरियों का सशक्तीकरण, जेंडर–आधारित हिंसा, पुरुषत्व, जेंडर असमानता के रवैए, एच.आई.वी. रोकथाम, और महिलाओं तथा लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.icrw.org/asia पर आएँ।

इनिशिएटिव फ़ॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.) लीड (एल.ई.ए.डी.) की एक पहल है, जो आई.एफ़.एम.आर. सोसायटी (सोसायटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक नॉन–प्रॉफिट संस्था है) का क्रिया–आधारित एक शोध केंद्र है। लीड को अकादमिक जगत और शोध केंद्र के बीच तालमेल के लिए क्रेआ यूनिवर्सिटी द्वारा रणनीतिक मार्गदर्शन और ब्रांड सपोर्ट प्राप्त है (आई.एफ़.एम.आर. सोसायटी द्वारा प्रायोजित)। आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउन्डेशन द्वारा समर्थित है।

उद्धरण संदर्भ

सेनगुप्ता, एन., उप्पल, आर., लाहा, एस., और बनर्जी, एस. 2022. *बदलाव के सफ़रनामेः श्योपुर (मध्यप्रदेश) की समता सखियाँ,* नई दिल्ली : इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन।

कवर फोटो

आनंदी

डिस्क्लेमर

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत अनुसंधान और निष्कर्ष इसके लेखकों के हैं और आवश्यक नहीं कि वे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउन्डेशन तथा आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई. के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हों।

प्रकाशन अधिकार

इस प्रकाशन में शामिल शोध को आई.सी.आर.डब्ल्यू. एशिया द्वारा संचालित किए गए एक अध्ययन *टेस्टिंग एंड स्केलिंग अप्रोचेज़ एंड इन्टरवेन्शंस टू सपोर्ट जेंडर ट्रान्सफ़र्मेटिव वर्क विद एन.आर.एल.एम.* के एक अंग के रूप में संपन्न किया गया था, और इसको आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई. का समर्थन प्राप्त था। इस रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों और सूचनाओं को सिर्फ़ अव्यावसायिक उपयोग के लिए, और समुचित संदर्भ देते हुए पुनर्प्रस्तुत/उद्धृत/संदर्भित किया जा सकता है।

उपयोग किए गए अन्य सभी चित्र शटरस्टॉक से लिए गए हैं।

आभार

केस स्टडीज़ रिपोर्ट समता सखियों के साथ इन-डेप्थ इंटरव्यूज़ और जेंडर जस्टिस प्रोग्राम (जी.जे.पी.) की प्रक्रियाओं के विस्तृत डॉक्युमेन्टेशन पर आधारित है, जिसे मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में एरिया नेटवर्किंग एंड डेवेलपमेंट इनिशिएटिव (आनंदी) द्वारा लागू किया गया था। हम इस रिसर्च के सभी प्रतिभागियों जैसे कि मास्टर ट्रेनरों, समता सखियों, सी.एल.एफ़. पदाधिकारियों, सी.एल.एफ़. एस.ए.सी सदस्यों, और एम.पी.एस.आर.एल.एम. की राज्य, ज़िला और ब्लॉक टीमों के प्रति अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने अपने मूल्यवान समय और समृद्ध अनुभवों को हमारे साथ बाँटा। हम विशेषकर समता सखियों का आभार जताना चाहते हैं जो इस रिसर्च के दौरान लगातार हमारी प्रेरणास्रोत बनी रहीं।

इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने का अवसर प्रदान करने के लिए हम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन (बी.एम.जी.एफ़.), इनिशिएटिव फ़ॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी (आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.) और आनंदी को धन्यवाद देते हैं।

हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वरिष्ठ सदस्यों, सुश्री नीता केजरीवाल, सुश्री पी. उषा रानी और सुश्री सीमा भास्करन को उनके मार्गदर्शन और सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के भोपाल स्थित अधिकारियों, श्री एल.एम. बेलवाल, श्री रमन वाधवा (पूर्व में एम.पी.एस.आर.एल.एम.*), सुश्री अनीता वात्सल्य, श्री नेमचंद जाधव, श्री शैलेंद्र भदौरिया और सुश्री सुषमा मिश्रा को भी उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। श्योपुर ज़िले में एम.पी.एस.आर.एल.एम. की ज़िला और ब्लॉक टीमों के प्रति हम आभारी हैं जिन्होंने रिसर्च की प्रक्रिया को भारी समर्थन और सहयोग प्रदान किया, विशेषकर उन्होंने कोविड महामारी की अवधि में रिमोट रिसर्च की गतिविधियों का आयोजन करने में हमारी मदद की।

हम इंटरनेशनल सेंटर फ़ॉर रिसर्च ऑन वुमेन (आई.सी.आर.डब्ल्यू.) एशिया के अपने सहकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं – प्रेरणा कुमार को इस प्रक्रिया में लगातार परामर्शों और हमारे मार्गदर्शन के लिए, रवि वर्मा और प्रणिता अच्युत को उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए, संदीपा फाण्डा को प्रोग्राम में सहायता के लिए, नित्या अग्रवाल और आकृति जयंत को विभिन्न वेंडरों के साथ संचार और संवाद में सहयोग के लिए। हम अपने इन्टर्नों सोहम बासु और शालिनी दत्ता द्वारा इंटरव्यूज़ के ट्रांस्क्रिप्शन में मदद करने के लिए उनके आभारी हैं। हम कॉपी एडिटिंग सपोर्ट के लिए तृप्ति नैनवाल को, अनुवाद के लिए रेयाज़ुल हक़ को, और रिपोर्ट के इन्फोग्राफ़िक डिज़ाइन करने के लिए इनज़ीनियस कन्सल्टेन्सी सर्विसेज़ को धन्यवाद कहना चाहेंगे।

हम इस क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के कामकाज से मिली सीख के लिए भी उनके प्रति आभारी हैं, विशेष कर स्वयम्[#] प्रोजेक्ट के सहभागियों के प्रति। सहभागियों के साथ होने वाली समीक्षा मीटिंग्स सीखने और सूचनाओं का एक बहुत बड़ा स्रोत रही हैं। हम उन अनेक व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों के कार्य के प्रति, उनके फ़्री सोर्स प्रकाशनों और अन्य नॉलेज प्रोडक्ट्स के लिए उनके कृतज्ञ हैं, जिसने हमारी समझ और इस रिसर्च में योगदान दिया है।

रिसर्च टीम की सदस्य

नीलांजना सेनगुप्ता, राधिका उप्पल, सोमजीता लाहा और सुनंदिता बैनर्जी

---

* वर्तमान में एन.एम.एम.यू

\# स्ट्रेंगथनिंग वुमन्स इंस्टीट्युशंस फॉर एजेन्सी एंड एम्पावरमेंट (स्वयम्) के माध्यम से आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई., डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. के साथ साझेदारी में पूरे मिशन के जेंडर सम्बंधित कामकाज और योजना को तकनीकी परामर्श और सहयोग प्रदान करता है।

विषय सूची

संक्षिप्त अक्षरों की सूची 5

शब्दों के अर्थ 6

इंट्रोडक्शन 7

सेक्शन 1 पृष्ठभूमि और विश्लेषण 8

1.1 जेंडर जस्टिस प्रोग्राम क्या है 8

1.2 समता सखियों का चयन 9

1.3 केस स्टडीज़ की पद्धति 10

1.4 बदलाव के सफ़र का विश्लेषण 11

सेक्शन 2 ज़मीन से उठती आवाज़ें: बदलाव का सफ़र 28

2.1 समता सखी किरण की कहानी 28

2.2 समता सखी प्रिया की कहानी 31

2.3 समता सखी सुषमा की कहानी 33

2.4 समता सखी अंकिता की कहानी 35

2.5 मास्टर ट्रेनर अदिति की कहानी 38

2.6 समापन चर्चा 40

संक्षिप्त अक्षरों की सूची

ए.ए.पी.	एनुअल एक्शन प्लान
आनंदी	एरिया नेटवर्किंग एंड डेवेलपमेंट इनिशिएटिव्स
बी.एम.जी.एफ़	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
बी.एम.एम.यू	ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट
सी.ई.ओ.	चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर
सी.एल.एफ़.	क्लस्टर लेवल फेडरेशन (संकुल)
सी.एम.	चीफ़ मिनिस्टर (मुख्यमंत्री)
सी.आर.पी.	कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन
सी.एस.ओ.	सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइज़ेशन
सी.टी.सी.	कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर
डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.	दीनदयाल अंत्योदय योजना– नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन
डी.एम.एम.यू.	डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट
डी.पी.एम.	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर
ई.सी.	एक्ज़ीक्यूटिव कमिटी
एफ़.जी.डी.	फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन
जी.जे.पी.	जेंडर जस्टिस प्रोग्राम
जी.एम.	जेंडर मेनस्ट्रीमिंग
जी.पी.पी.	जेंडर प्वाइंट पर्सन
आई.बी./सी.बी.	इन्स्टीट्यूशन बिल्डिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग
आई.सी.आर.डब्ल्यू.	इंटरनेशनल सेंटर फ़ॉर रिसर्च ऑन वुमेन
आई.डी.आई.	इन–डेप्थ इंटरव्यू
आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई.	इनिशिएटिव फ़ॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी
के.आई.आई.	की इन्फ़ॉर्मेंट इंटरव्यू
एल.ए.के.	लोक अधिकार केंद्र
मनरेगा	महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
एम.पी./म.प्र.	मध्य प्रदेश
एम.पी.एस.आर.एल.एम.	मध्य प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन
एन.एम.एम.यू.	नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट
पी.ए.एल.एस.	पार्टिसिपेटरी एक्शन लर्निंग सिस्टम
ओ.बी.	ऑफ़िस बेयरर (पदाधिकारी)
एस.ए.सी.	सोशल एक्शन कमेटी
एस.सी.	शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति)
एस.आई./एस.डी.	सोशल इन्क्लुज़न/सोशल डेवेलपमेंट
एस.एच.जी.	सेल्फ़ हेल्प ग्रुप (समूह)
एस.एम.एम.यू.	स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट
एस.पी.एम.	स्टेट प्रोग्राम मैनेजर
एस.आर.एल.एम.	स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन
एस.एस.	समता सखी
स्वयम्	स्ट्रेन्देनिंग वुमेन्स इंस्टीट्यूशन फ़ॉर एजेंसी एंड एम्पावरमेंट
वी.ओ.	विलेज आर्गेनाइजेशन (ग्राम संगठन)
डब्ल्यू.सी.डी.	वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (महिला एवं बाल विकास)

शब्दों के अर्थ

आदिवासी	एक स्थानीय जनजाति के सदस्य
आजीविका मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को संदर्भित करता है
आंगनवाड़ी	ग्रामीण भारत में बच्चों (6 वर्ष तक) और उनकी माताओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण देखभाल प्रदान करने वाला केंद्र – एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) का हिस्सा; भारत में एक सरकारी कार्यक्रम
बड़ा साहब	वरिष्ठ अधिकारी
बैंक मित्र	बैंक लिंकेज बनाने वाले कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन
दुख सुख	आनंदी का पी.ए.एल.एस. प्रशिक्षण टूल महिलाओं के जीवन चक्र में होने वाले भेदभाव पर आधारित
ग्राम सभा	18 वर्ष से अधिक आयु के सभी ग्रामीणों की आम सभा, जिनके नाम पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हैं और जो प्रति वर्ष कम से कम चार बार मिलते हैं
हाटबाज़ार	स्थानीय बाज़ार
जनपद	ब्लॉक स्तर पर स्थानीय शासन की इकाई
किसका पलड़ा भारी	जेंडर के आधार पर काम के विभाजन और निर्णय लेने पर आनंदी का पी.ए.एल.एस. प्रशिक्षण टूल
कुपोषण से जंग	मध्य प्रदेश में एक सरकारी योजना जो सहरिया आदिवासियों के बीच कुपोषण से लड़ने के लिए चलाई जा रही है
लोक अधिकार केंद्र	महिलाओं के अधिकारों और हक़ों को संबोधित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर जी.जे.पी. के माध्यम से समता सखियों द्वारा स्थापित नई संस्था
मेरा हक़, मेरी पहचान	महिलाओं के अधिकारों और हक़ों पर आनंदी का पी.ए.एल.एस. प्रशिक्षण टूल
मुन्ना मुन्नी	समाज में जेंडर संबंधी परंपराओं और लड़की–लड़के के बीच भेदभाव पर आनंदी का पी.ए.एल.एस. प्रशिक्षण टूल
पटवारी	ब्लॉक स्तरीय भूमि अधिकारी
प्रेरक	संकुल/ग्राम संगठन/समूह के क़र्ज़ों और पुनर्भुगतान का रेकॉर्ड रखने वाला ज़िम्मेदार व्यक्ति
समता सखी	जेंडर के लिए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन
तहसील	राजस्व कार्यालय
तहसीलदार	राजस्व अधिकारी

इंट्रोडक्शन

यह केस स्टडीज़ समता सखियों के बदलाव के सफ़र को दर्ज करती हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश में श्योपुर और कराहल ब्लॉकों में जेंडर जस्टिस प्रोग्राम (जी.जे.पी.) के तहत नियुक्त किया गया था। जी.जे.पी. को सी.एस.ओ. आनंदी (एरिया नेटवर्किंग एंड डेवेलपमेंट इनिशिएटिव) द्वारा 2019 से 2021 के बीच मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एम.पी.एस.आर.एल.एम.) के साथ मिल कर लागू किया गया। इस प्रोग्राम को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बी.एम.जी.एफ़.) का समर्थन प्राप्त था, और इसे स्वयम् इनिशिएटिव के माध्यम से लागू किया गया, जिसमें आई.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.ई. (इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी) एक कोऑर्डिनेशन और लर्निंग पार्टनर (संयोजन और शिक्षण सहभागी) था। यह एक पायलट प्रोग्राम था जो मार्च 2021 में पूरा हुआ। अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 के बीच एक संक्षिप्त अंतराल[1] के बाद, जी.जे.पी. को एम.पी.एस.आर.एल.एम. की व्यापक जेंडर अपस्केलिंग स्ट्रेटेजी के तहत श्योपुर ज़िले में फिर से शुरू किया गया। वास्तव में, पायलट प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए, एम.पी.एस.आर.एल.एम. ने हाल ही में जी.जे.पी. को जेंडर अपस्केलिंग रणनीति के बतौर श्योपुर समेत 18 ज़िलों में अपनाया है, जिसमें 19 ब्लॉक और 60 सी.एल.एफ़. शामिल हैं।

इस प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी रिसोर्सेज़ पर्सन्स (सी.आर.पी.) फ़ॉर जेंडर को समता सखी का नाम दिया गया है। उनकी परिकल्पना बदलाव के प्रमुख एजेंटों के रूप में की गई थी। योजना के मुताबिक़ उन्हें एम.पी.एस.आर.एल.एम. के सामुदायिक संस्थानों के साथ करीबी से मिल कर काम करना था। इन संस्थानों में क्लस्टर लेवल फेडरेशंस (संकुल), विलेज ऑर्गेनाइज़ेशंस (ग्राम संगठन), सेल्फ–हेल्प ग्रुप्स (समूह) और सामाजिक गतिविधि उपसमिति आती हैं। उनका मक़सद समुदाय की महिलाओं को जेंडर संबंधी प्रशिक्षण देना था और गाँव और ब्लॉक के स्तरों पर जेंडर और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और सामाजिक गतिविधि[2] चलानी थी। जी.जे.पी. ने श्योपुर में अपने पायलट चरण में समता सखियों के काम की देख–रेख करने और दैनिक गतिविधियों में उनका सहयोग करने के लिए तीन मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति भी की थी। यह रिपोर्ट नवंबर 2019 से लेकर मार्च 2021 के बीच समता सखियों के अनुभवों को क़रीब से देखती है और साथ ही यह प्रोजेक्ट में कुछ समय (अप्रैल–अगस्त 2021) के लिए आए विराम पर भी थोड़ा विचार करती है। हमने यहाँ यह विश्लेषण किया है कि समता सखियों के रूप में इन महिलाओं ने अपनी और अपने समुदाय की महिलाओं की ज़िंदगियों में किस तरह के बदलाव लाए, जिससे ग्रामीण समुदायों में समूह, ग्राम संगठन और संकुल जैसे संस्थानों की भूमिकाओं में भी बदलाव आया। यह रिपोर्ट चार समता सखियों और एक मास्टर ट्रेनर के अपने शब्दों में बदलाव की कहानियों को पेश करती है। ये ज़मीन से आने वाली आवाज़ें हैं, ये संघर्ष और मुश्किलों से उबरने की कहानियाँ हैं, और ये इसकी कहानियाँ हैं कि कैसे उन्होंने अपने समुदायों में बदलाव की प्रक्रियाओं का नेतृत्व किया।

यह रिपोर्ट दो हिस्सों में है। पहले हिस्से में प्रोजेक्ट का परिचय दिया गया है और शोध की पद्धति के बारे में बताया गया है। इसके बाद उन बदलावों का गहराई से एक विश्लेषण किया गया है जो समता सखियों की वजह से मुमकिन हुए हैं। दूसरे भाग में कुछ चुनिंदा समता सखियों के अपने शब्दों में बदलाव की कहानियाँ पेश की गई हैं, जिसका अंत एक समापन चर्चा से होता है।

1 अप्रैल 2021–अगस्त 2021 के बीच में एक अंतराल था, जब ज़्यादातर समता सखियों को जी.जे.पी. द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया गया। इस अवधि में ज़्यादातर समता सखियों ने अपने गाँवों में काम करना जारी रखा और उन्होंने सप्ताह में दो बार लोक अधिकार केंद्र की भी मदद की। कोष के अभाव में दूसरे गाँवों में उनकी नियमित गतिविधियाँ निलंबित थीं। मास्टर ट्रेनरों और आनंदी की प्रोजेक्ट लीड ने इन महीनों में समता सखियों और लोक अधिकार केंद्र की सहायता की। इस रिपोर्ट में इस अवधि को प्रोजेक्ट अंतराल / रुकावट / ठहराव / स्थगित अवधि के रूप में दिखाया गया है।

2 यहाँ सामाजिक गतिविधि का मतलब ऐसे व्यक्तिगत या सामूहिक व्यवहार हैं जिनमें दूसरे व्यक्तियों, समूहों या संस्थानों के साथ संवाद शामिल होता है और इनका उद्देश्य व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकारों को हासिल करना या सामाजिक प्रथाओं में बदलाव लाना होता है। इसमें व्यक्तिगत समर्थन के साथ–साथ सामूहिक गतिविधि शामिल होती है जो विभिन्न मंचों का उपयोग करते हुए ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और हक़ों को दिलाने की कोशिश करती है।

1

पृष्ठभूमि और विश्लेषण

1.1.
जेंडर जस्टिस प्रोग्राम क्या है?

जेंडर जस्टिस प्रोग्राम जेंडर केंद्रित उन चार पायलट कार्यक्रमों में से एक है जिनका मक़सद राज्य और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनों (एस.आर.एल.एम. और डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.) में जेंडर पहलू को एक अहम हिस्सा बनाना था। इनको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन का समर्थन और डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. का सहयोग हासिल था। ये पायलट प्रोग्राम डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. के भीतर जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के व्यापक नज़रिए का एक हिस्सा थे और उनका लक्ष्य यह दिखाना था कि कैसे जेंडर पहलू को डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. के मौजूदा ढाँचों और कार्यक्रमों के भीतर एकीकृत किया और जोड़ा जा सकता है। इस नज़रिए पर क़ायम रहते हुए, प्रोग्राम ने एम.पी.एस.आर.एल.एम. की मौजूदा संरचनाओं, गतिविधियों और प्राथमिकताओं के भीतर अपनी जगह बनाई। ऐसा करते हुए उसका मक़सद यह था कि ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ और उनकी एजेंसी को विकसित किया जाए ताकि वे अपने अधिकारों और हक़ों की दावेदारी कर सकें। जी.जे.पी. तीन प्रमुख स्तंभों में जेंडर संबंधी काम पर ध्यान केंद्रित करता है और ये प्रोग्राम की तीन व्यापक रणनीतियाँ हैं: क) व्यवस्था के स्तर पर जेंडर मेनस्ट्रीमिंग करना – यानी राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तरों पर एम.पी.एस.आर.एल.एम. की नीतियों, कर्मचारियों, निगरानी व्यवस्था आदि में जेंडर के पहलू को एकीकृत करने के

जेंडर जस्टिस कार्यक्रम को 2019 से 2021 के बीच श्योपुर ज़िले के श्योपुर और कराहल ब्लॉकों में लागू किया गया था। हरेक ब्लॉक में कार्यक्रम को तीन-तीन संकुलों में शुरू किया गया। इन छह संकुलों में, शुरू में 12 समता सखियाँ (हर संकुल में दो) थीं। आगे चल कर, 12 और समता सखियाँ चुनी गईं जिससे उनकी संख्या कुल मिला कर 24 हो गई – हर संकुल में चार। आनंदी ने उनके सहयोग और समर्थन के लिए तीन मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए।

लिए ज़रूरी बदलाव लाना; ख) इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंग्देनिंग (संस्थागत मज़बूती) – सामुदायिक संस्थानों को जेंडर और सामाजिक मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाना; और ग) फ़ेमिनिस्ट लीडरशिप डेवलपमेंट (नारीवादी लीडरशिप का विकास) – सशक्त महिला सामुदायिक लीडरों (समता सखियों) का एक संघ तैयार करना।

1.2
समता सखियों की भूमिका और उनका चयन

समता सखियाँ संकुल से जुड़ी हुई 'जेंडर सी.आर.पी.' हैं, जिन्होंने संकुल, ग्राम संगठन, और समूह में जेंडर प्रशिक्षण दिया है। समता सखियों की परिकल्पना ऐसे सामुदायिक लीडरों के रूप में की गई थी जो सामुदायिक संस्थागत जगहों को बदल देंगी और इन जगहों पर सदस्यों को इस तरह सशक्त बनाएँगी कि वे जेंडर संबंधी मुद्दों को उठा सकें और विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक मंचों का उपयोग करते हुए समाधानों की तलाश कर सकें। इसमें प्रशिक्षण के लिए जो कैस्केडिंग मॉडल अपनाया गया था, उसमें आनंदी ने समता सखियों को प्रशिक्षित किया, और फिर समता सखियों ने समुदाय के सदस्यों को, ख़ास कर संकुल और ग्राम संगठन स्तरों पर प्रशिक्षित किया। इस सिलसिले में उन्हें रोज़ाना के अपने काम में तीन मास्टर ट्रेनरों ने सहयोग दिया (जिनमें से दो महिलाएँ थीं और एक पुरुष)। इनको भी आनंदी की ओर से ही नियुक्त किया गया था लेकिन ज़्यादातर वे उसी समुदाय से आते थे। इन मास्टर ट्रेनरों ने समता सखियों का समर्थन और मार्गदर्शन किया, ताकि वे सामाजिक गतिविधियों का नेतृत्व कर सकें। इनमें हक़ों से संबंधित मुद्दे शामिल थे जैसे कि पेंशन, पहचान पत्र, जॉब कार्ड, राशन कार्ड; सरकारी सेवाओं से जुड़े मुद्दे जैसे पानी और स्वास्थ्य सुविधाएँ; ज़मीन संबंधी अधिकारों और घरेलू हिंसा के मुद्दे तक शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मास्टर ट्रेनरों ने भी सामाजिक गतिविधि का नेतृत्व किया और समता सखियों ने ज़मीनी तौर पर उनके साथ रह कर उनसे इसका कौशल सीखा। इनमें से कुछ मुद्दे पंचायतों के माध्यम से गाँव के स्तर पर सुलझाए गए (जिसमें ग्राम सभाओं में प्रतिनिधित्व भी शामिल है)। इन मुद्दों में से जिनमें ब्लॉक स्तर के लाइन डिपार्टमेंट्स का हस्तक्षेप ज़रूरी था, उनको लोक अधिकार केंद्र तक ले जाया गया। लोक अधिकार केंद्रों को समता सखियों द्वारा स्थापित किया गया। उन्हें संकुल की अगुवाई में ब्लॉक स्तरीय जनपद (ब्लॉक पंचायत कार्यालय), तहसील (राजस्व कार्यालय) या किसी एक प्रशासनिक कार्यालय में क़ायम किया गया है। इसका संचालन समता सखियों और मास्टर ट्रेनरों द्वारा किया जाता है। लोक अधिकार केंद्र एक नया संस्थान है जिसकी

फोटो क्रेडिटः नीरज चतुर्वेदी/शटरस्टॉक

स्थापना जी.जे.पी. के ज़रिए की गई है और यह आनंदी द्वारा मध्य प्रदेश के मांडला ज़िले में 2017 में किए गए काम पर आधारित है। समता सखियाँ और मास्टर ट्रेनरों ने लोक अधिकार केंद्र की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की और कार्यालय के लिए जगह हासिल की। इस तरह के संवाद और बातचीत ने एक ऐसा माहौल बनाने में मदद की जिसमें लोक अधिकार केंद्र को एक ऐसे वैध संस्थान के रूप में स्वीकृति मिली, जहाँ समुदाय की महिलाओं के अधिकारों और हक़ों से जुड़े मुद्दों को उठाया जा सकता है। लोक अधिकार केंद्र ने ब्लॉक स्तरीय प्रशासन और सामुदायिक संस्थानों के बीच संपर्क स्थापित किया है और लाइन डिपार्टमेंट तक समुदाय के सदस्यों की पहुँच को आसान बनाया है। समता सखियों और मास्टर ट्रेनरों ने पुलिस थानों और अस्पतालों के साथ करीबी से मिल कर भी काम किया, जिसके तहत उन्होंने घरेलू हिंसा और विकलांगता प्रमाण पत्रों के मुद्दों जैसे विभिन्न मामलों को सुलझाया।

समता सखियों का चयन संकुल द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में, आनंदी टीम ने श्योपुर और कराहल ब्लॉकों में छह संकुलों का दौरा किया और उन्हें अपने सदस्यों के बीच से समता सखियों को चुनने को कहा। इसका मुख्य मानदंड यह था कि ये ऐसी महिलाएँ होनी चाहिए जो वंचित सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों से आती हों और जिन्हें संघर्ष करने और उससे उभरने का अनुभव हो, जो काम के लिए बाहर आ–जा सकती हों और समय दे सकती हों। समता सखियों के नए बैच के लिए दो अतिरिक्त मानक यह थे कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत की जा रही गतिविधियों को दर्ज़ करने के लिए काफ़ी कागज़ी काम की ज़रूरत थी; और उन्हें उन गाँवों से होना चाहिए जिनका प्रतिनिधित्व पहले बैच में नहीं हुआ था, क्योंकि श्योपुर और कराहल बड़े ब्लॉक थे और विभिन्न गाँवों से आने वाली समता सखियाँ इन गाँवों की सामुदायिक संस्थाओं के भीतर भागीदारी को और भी व्यापक बनातीं। आनंदी परियोजना की टीम, ख़ास कर मास्टर ट्रेनर और ब्लॉक नोडल अधिकारियों ने समता सखियों के दूसरे बैच के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे बैच का चयन पहले की तुलना में अलग था, जहाँ संकुल ने समता सखियों के नामांकन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले और दूसरे बैच की समता सखियों ने जोड़ियों में काम किया, और हर जोड़ी ने आपस में 16 से 18 ग्राम संगठनों का कामकाज सँभाला। उन्होंने संकुल मीटिंग के दौरान हर महीने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। संकुल पदाधिकारियों (ओबी), नोडल अधिकारी (एम.पी.एस.आर.एल.एम. के ब्लॉक स्तर के कर्मी जो संकुल के कामकाज को देखते हैं) और संकुल तथा ग्राम संगठन से जुड़े प्रेरकों के साथ सलाह–मशविरा करते हुए उन्होंने अगले महीनों की गतिविधियों की योजना बनाई।

1.3
केस स्टडीज़ की पद्धति

शोध करने वाली टीम ने जनवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच जी.जे.पी. की प्रक्रिया का डॉक्युमेन्टेशन किया और शोध गतिविधियों के ज़रिए जानकारी प्राप्त की। इन शोध गतिविधियों में शामिल है आनंदी प्रोजेक्ट लीडरशिप और एम.पी.एस.आर.एल.एम. राज्य स्तर कर्मियों के साथ की इन्फॉर्मेन्ट इंटरव्यू, श्योपुर में आनंदी की टीम (जिसमें मास्टर ट्रेनर शामिल हैं), एम.पी.एस.आर.एल.एम., के ज़िला और ब्लॉक अधिकारी संकुल पदाधिकारी, संकुल सोशल एक्शन कमेटी के सदस्य और समता सखियों के साथ फ़ोकस ग्रुप डिस्कशंस (एफ.जी.डी.)। इसके अलावा चुनी हुई समता सखियों और एक मास्टर ट्रेनर के साथ दो बार इन–डेप्थ इंटरव्यू (आई.डी.आई) भी किए गए। रिपोर्ट के सेक्शन 1 को लिखने में इन सभी शोध गतिविधियों की मदद ली गई है और इसमें फ़ील्ड से प्राप्त जानकारी और अनुभवों का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। इसलिए इसमें सभी समता सखियों की बातों और विचारों को शामिल किया गया है, न कि सिर्फ़ उनकी बातों को जिनके साथ आई.डी.आई. किए गए। सेक्शन 2 बदलावों के सफ़र के बारे में है, जिसमें शोध करने वाले दल ने समता सखियों के साथ आई.डी.आई. को आधार बनाया है। कोशिश की गई है कि जितना संभव हो उनकी मूल आवाज़ और लहज़े को बरकरार रखा जाए। पहले दौर के आई.डी.आई. दिसंबर 2020 और फ़रवरी 2021 के बीच किए गए और दूसरे दौर के आई.डी.आई. सितंबर 2021 में किए गए। इस तरह, इन कहानियों में समता सखियों द्वारा मार्च 2021 तक अपने जीवन और अपने कामकाज पर अपना नज़रिया पेश किया गया है। इसमें उन्होंने उस अवधि पर भी थोड़ा विचार किया है जब प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए रुक गया था और उनको अपनी गतिविधियों के लिए कोई मानदेय नहीं प्राप्त हो रहा था।

इस शोध में इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड की सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, जैसे, समुचित सूचना पर आधारित सहमति (इन्फ़ॉर्म्ड कन्सेन्ट), गोपनीयता, और स्वैच्छिक भागीदारी। कोविड–19 महामारी के चलते मार्च 2020 के बाद से सभी शोध गतिविधियों को ऑनलाइन या टेलीफ़ोन के ज़रिए पूरा किया गया। साक्षात्कारों की गोपनीयता को

सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानियाँ बरती गईं। इन इंटरव्यूज़ के लिए तारीख़ और समय को प्रतिभागियों की सुविधा के हिसाब से तय किया गया। प्रतिभागियों के साथ तालमेल बिठाना तुलनात्मक रूप से आसान था, क्योंकि शोध करने वाली टीम ज़्यादातर प्रतिभागियों से कोविड–19 के पहले अपने फ़ील्ड विज़िट के दौरान मिल चुकी थी (एस.ए.सी. सदस्य और समता सखियों के नए बैच के अलावा)। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि आनंदी की फ़ील्ड टीम ने प्रतिभागियों की नियुक्ति में सक्रिय रूप से सहायता की। इसने शोधकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच में भरोसा विकसित करने में मदद की। इसका ख़्याल रखा गया कि इंटरव्यूज़ और टेलीफ़ोनिक फोकस ग्रुप डिस्कशंस का समय प्रतिभागियों के लिए सुविधाजनक हो। उनमें से अधिकतर ने एक तयशुदा संकुल मीटिंग के पहले या बाद में अपने घरों से या संकुल ऑफिस से इसमें भाग लिया।

आई.डी.आई. के लिए समता सखियों का चयन करने के लिए, शोध दल ने प्रतिनिधित्व में विविधता रखने के लिए पात्रताओं का एक सेट तैयार कियाः

शैक्षणिक योग्यता
वैवाहिक स्थिति
जाति
बैच (पहला/दूसरा)
ब्लॉक/संकुल
संकुल में या दूसरे मंचों पर लीडरशिप की भूमिका
भागीदारी का स्तर (बहुत सक्रिय, या कम सक्रिय)

इसके आधार पर पहले दौर के आई.डी.आई. के लिए सात समता सखियों को चुना गया था। दूसरे दौर के आई.डी.आई. इनमें से चार समता सखियों के साथ किए गए। समता सखियों ने हमारे साथ अपने जो अनुभव बाँटे, वे उनके सफ़र को गहराई से समझने में बहुत अधिक क़ीमती रहे हैं और उन्होंने सेक्शन 1 में काफ़ी योगदान दिया है। इनमें से चार समता सखियों की निजी कहानी को सेक्शन 2 में विस्तार से पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक इन–डेप्थ इंटरव्यू अदिति के साथ भी किया गया, जो आनंदी द्वारा नियुक्त तीन मास्टर ट्रेनरों में से एक हैं। वे खुद कराहल ब्लॉक की निवासी हैं और संकुल की सदस्य हैं। इसलिए समता सखियों का मार्गदर्शन करने, सामाजिक गतिविधि का समर्थन करने में और अपने खुद के जीवन में बदलाव ले आने में उनकी भूमिका को भी दर्ज़ करना बहुत ज़रूरी था। अदिति की अपनी बदलाव की कहानी भी सेक्शन 2 का हिस्सा है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस रिपोर्ट में सभी समता सखियों और मास्टर ट्रेनरों के नाम बदल दिए गए हैं।

1.4
बदलाव के सफ़र का विश्लेषण

इस सेक्शन में एक नारीवादी लीडरशिप के विकास की रणनीतियों, नतीजों, मददगार पहलुओं, रुकावटों और मुश्किलों को दूर करने के उपायों पर बात की गई है। इसमें प्रोजेक्ट टीम, ब्लॉक और ज़िला स्तर के कर्मियों, संकुल पदाधिकारी, संकुल–एस.ए.सी. के साथ एफ़.जी.डी., और समता सखियों के साथ एफ़.जी.डी. और आई.डी.आई. जैसी विविध शोध गतिविधियों की मदद ली गई है, ताकि रणनीतियों से निकले विभिन्न नतीजों का एक संपूर्ण विश्लेषण पेश किया जा सके।

1.4.1
नारीवादी लीडरशिप के विकास की रणनीतियाँ

आनंदी टीम ने जब श्योपुर में जी.जे.पी. की शुरुआत की, तो नारीवादी लीडरशिप के विकास और सामुदायिक भागीदारी के लिए कुछ बहुत साफ़ रणनीतियाँ थीं। ये रणनीतियाँ देश के विभिन्न हिस्सों में दशकों तक किए गए कामों पर आधारित थीं, ख़ास कर गुजरात के बरिया में और मध्य प्रदेश में मांडला ज़िले में निवास में किए गए लोक अधिकार केंद्र के काम। जी.जे.पी. एक ऐसा मॉडल था, जिसमें ज़मीनी ज़रूरतों और राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार ढलने की क़ाबिलियत थी। एक नारीवादी लीडरशिप के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों में जेंडर संबंधी बदलावों को प्रोत्साहित करना था, जिन्हें इन्हीं समुदायों से आने वाली नारीवादी लीडर्स के माध्यम से पूरा किया जाता। यह लीडरशिप चेतना को बढ़ाने और परंपराओं को चुनौती देने के लिए ज़रूरी गतिविधियाँ भी चलाती। इस उद्देश्य से, विशिष्ट ऑपरेशनल (कामकाजी) रणनीतियाँ यह थीं:

समता सखियों की क्षमताओं का लगातार निर्माण।
प्रशिक्षण के कैस्केडिंग मॉडल के तहत समता सखियों द्वारा संकुल, ग्राम संगठन और समूह सदस्यों को प्रशिक्षण देना।
गाँव और लोक अधिकार केंद्र के स्तर पर समता सखियों द्वारा सामाजिक गतिविधियों का नेतृत्व करना।
समता सखियों द्वारा सामाजिक गतिविधि के लिए विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक मंचों का उपयोग करना।

उनके लगातार क्षमता निर्माण के लिए उन्हें अलग–अलग क़िस्म के प्रशिक्षण, गुजरात में एक एक्सपोज़र विज़िट (वहाँ लोक अधिकार केंद्र के कामकाज को समझने के लिए), मास्टर ट्रेनरों और कभी–कभार वरिष्ठ आनंदी कर्मियों द्वारा दैनिक मार्गदर्शन और सहयोग मिलता था। आनंदी ने अपने पार्टिसिपेटरी एक्शन लर्निंग सिस्टम (पी.ए.एल.एस.) का उपयोग करते हुए जेंडर नज़रिए पर एक पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया। जेंडर की बुनियादी समझ के अलावा, प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को अधिकार, नागरिकता और आधार तथा मनरेगा कार्डों जैसे पहचान पत्रों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण की पद्धति भागीदारी और परस्पर संवाद पर आधारित थी। चर्चा और संवाद को आसान बनाने के लिए गीत, रोल–प्ले तथा अन्य गतिविधियों का उपयोग किया गया। प्रतिभागियों को अपने जीवन और अपने समुदाय की महिलाओं के अनुभवों पर विचार करने को प्रोत्साहित किया गया। समता सखियों द्वारा प्राप्त अन्य प्रशिक्षणों में शामिल थे लोक अधिकार केंद्र प्रबंधन, और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा योजनाओं पर आधारित प्रशिक्षण। समता सखियों के पहले बैच के साथ–साथ मास्टर ट्रेनरों ने भी नवंबर 2019 में जेंडर नज़रिए पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया।

जेंडर नज़रिए पर प्रशिक्षण के बाद समता सखियों को संकुल और ग्राम संगठन सदस्यों को प्रशिक्षित करने को कहा गया। इसके लिए उन्होंने आनंदी द्वारा विकसित प्रशिक्षण टूल्स की मदद ली, जिससे वे अपने प्रशिक्षण के दौरान परिचित हुई थीं। यह प्रशिक्षण का एक कैस्केडिंग मॉडल था। प्रशिक्षण के टूल्स में *मुन्ना मुन्नी, दुख सुख* (गर्भ से लेकर आजीवन एक महिला द्वारा अनुभव किया जाने वाला जेंडर संबंधी भेदभाव), *किसका पलड़ा भारी* (महिलाओं के काम को मान्यता, घर के काम को महिलाओं और पुरुषों में बाँटना, और फ़ैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी), *मेरा हक़, मेरी पहचान* (एक मज़दूर/किसान के रूप में एक महिला की पहचान और उनके अधिकार और हक़) आदि।[3] यह उम्मीद की गई थी कि प्रशिक्षण का यह कैस्केडिंग मॉडल समुदाय की महिलाओं के बीच न सिर्फ़ एक जेंडर नज़रिए को निर्मित करेगा बल्कि एक चर्चा की शुरुआत भी करेगा और अधिकारों और हक़ों से जुड़े मुद्दों को उठाने में मदद करेगा, जिसके आधार पर सामाजिक गतिविधियाँ की जा सकेंगी।

समता सखियों को समुदाय में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक गतिविधि शुरू करने और उनका नेतृत्व करने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई थी। इनमें सामूहिक सेवा संबंधी मुद्दे जैसे कि पीने का पानी, सड़कें, रास्तों पर बिजली की बत्तियाँ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र; अधिकार जैसे कि ज़मीन और आवास; हक़ जैसे कि विधवा, वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन; राशन, मनरेगा के तहत रोज़गार कार्ड, पहचान पत्र संबंधी मुद्दे जैसे कि आधार कार्ड, और घरेलू हिंसा के मामले शामिल थे। सामाजिक गतिविधि में भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया, ताकि समूह, ग्राम संगठन, संकुल और समुदाय के साधारण सदस्य भी गतिविधि के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हो सकें। ज़्यादातर सामाजिक गतिविधि के लिए सरकारी और प्रशासनिक मंचों जैसे ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायत कार्यालयों, जनपद कार्यालयों और ब्लॉक और ज़िला स्तरों पर लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़ कर काम किया गया था। प्रशिक्षण के कैस्केडिंग मॉडल, और साथ ही सामाजिक गतिविधि ने समता सखियों को यह अवसर दिया कि उन्होंने जो कुछ सीखा था उसे अपनी गतिविधियों में अपना सकें और अपने तथा अपने समुदाय की ज़िंदगियों में बदलाव ला सकें।

इन सभी रणनीतियों में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक मास्टर ट्रेनरों द्वारा समता सखियों का मार्गदर्शन और सहायता थी। मास्टर ट्रेनरों ने समता सखियों के प्रशिक्षण और सामाजिक गतिविधियों में करीबी से सहायता की। वे समता सखियों को आमने–सामने या फ़ोन पर सलाह देते और उनका प्रशिक्षण करते, और विभिन्न स्थितियों में समस्याओं को हल करते। प्रत्येक मास्टर ट्रेनर पर दो संकुलों में आठ समता सखियों के कामों की ज़िम्मेदारी थी। इस तरह तीन मास्टर ट्रेनरों ने कुल मिला कर दो ब्लॉकों के छह संकुलों में 24 समता सखियों को सुपरवाइज़ किया। दैनिक आधार पर उन्होंने समता सखियों को सलाह देकर मदद की; प्रशिक्षण और सामाजिक गतिविधि का नेतृत्व किया या मदद की जब तक कि समता सखियों में खुद इन्हें कर पाने का आत्मविश्वास नहीं आ गया; उन्होंने समता सखियों को ब्लॉक और ज़िला स्तर पर अधिकारियों से परिचित कराया जब तक कि वे व्यवस्था से परिचित नहीं हो गईं; गतिविधियों के डॉक्युमेन्टेशन में उनकी मदद की; मासिक समीक्षा बैठकों को आयोजित किया और समता सखियों के सभी कामों की देख–रेख की।

3 इन टूल्स के बारे में विवरण इन लिंकों पर प्राप्त किया जा सकता है: https://anandi-india.org/gender/; https://anandi-india.org/human-rights-of-women/

चित्र 1: समता सखियों की भूमिका और कामकाज

1.4.2
नारीवादी लीडरशिप के विकास के नतीजे

इस सेक्शन में ऊपर बताई गई रणनीतियों के विभिन्न नतीजों (चित्र 2) पर एक नज़र डाली गई है। यह बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये अंतिम नतीजे नहीं हैं बल्कि बदलाव की ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जो अभी भी जारी हैं। अध्ययन की अवधि छोटी थी, जबकि बदलाव क्रमिक हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं। इसके साथ–साथ, नतीजे आपस में जुड़े हुए हैं और उनके बीच रिश्ते हमेशा एकतरफ़ा नहीं हैं; हरेक नतीजा दूसरे नतीजों को मज़बूत कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है।

चित्र 2: नारीवादी लीडरशिप के विकास के नतीजे

1.4.2.1
सूचना और कौशल प्राप्त करना

सभी समता सखियाँ जानकारी के बारे में बातें करती हैं और बताती हैं कि कैसे इसने अनगिनत बदलाव लाने की उनकी क्षमता को बढ़ाया। यह जानकारी सिर्फ़ योजनाओं और हक़ों के बारे में 'सूचना' भर नहीं है, बल्कि जेंडर असमानता और बदलाव के रास्तों के बारे में ज्ञान और नज़रिया भी है। मिसाल के लिए, जेंडर नज़रिए पर आनंदी के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान हासिल जानकारी की बातें करते हुए प्रिया यह याद करती हैं कि कैसे *किसका पलड़ा भारी* नामक टूल ने उन्हें इस हक़ीक़त का अहसास दिलाया कि महिलाएँ चाहे जितना काम करें, "उसकी गिनती नहीं होती।" उन्होंने *मेरा हक़, मेरी पहचान* टूल पर भी गौर किया और कहा कि उन्होंने सीखा है कि कैसे यह ज़रूरी है कि महिलाएँ अपनी आवाज़ उठाएँ और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। समता सखी बनने के बाद गीता ने अपने संपत्ति अधिकारों के बारे में जाना और पंचायत जाकर उन्होंने अपने मकान के काग़ज़ात में अपने पति के नाम से पहले अपना नाम लिखाया।

इस बात के अनगिनत उदाहरण हैं कि कैसे अधिकारों के बारे में जागरूकता और योजनाओं के बारे में जानकारी दोनों ने समता सखियों को लोगों को राशन कार्ड और पेंशन जैसे अधिकारों तक पहुँचने में मदद की। ऐसा इसलिए हुआ कि समता सखियों ने जाना कि उन्हें किससे संपर्क करना है, कहाँ जाना है और कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं। अक्सर ऐसा होता था कि पंचायत सचिव जैसे कर्मचारी उन्हें आसानी से लौटा नहीं पाते थे क्योंकि वे ज़रूरी सूचना और जागरूकता के साथ वहाँ जाती थीं। पंचायत सचिव को उन्हें सुनना इसलिए भी पड़ता था क्योंकि वे जनपद कार्यालय जैसे ऊँचे मंचों से जुड़ी हुई थीं और साथ ही वे गाँव के स्तर पर सामूहिक दबाव तैयार कर पाने में भी सक्षम थीं। दरअसल, यहाँ जानकारी का मतलब सामाजिक गतिविधि के क़दमों और रणनीतियों की समझ भी है। समता सखियों ने अपने काम और प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा कि जो काम एक अकेले इंसान से नहीं हो सकता है उसे अक्सर सामुदायिक दबाव से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि अगर कोई मुद्दा एक स्तर पर नहीं सुलझा तो उसे ऊँचे स्तरों पर उठाना ज़रूरी है। उनकी कहानियों में हम इन प्रक्रियाओं की एक साफ़ समझदारी देखते हैं।

वे प्रशिक्षणों और सामाजिक गतिविधियों द्वारा हासिल कौशलों के बारे में भी बातें करती हैं। एक ऐसी स्थिति से निकल कर, जिसमें वे अपने परिवार के बाहर के लोगों से बातें करने में भी झिझकती थीं, अब उन्होंने एक ऐसा आत्मविश्वास हासिल किया है, जिसमें वे किसी से भी संपर्क करके बातें कर पाती हैं। अंकिता, सुषमा, किरण, प्रिया सभी बताती हैं कि कैसे उन्होंने कर्मचारियों से बातें करने, ग्राम सभाओं में बोलने और महिलाओं के बड़े समूहों को प्रशिक्षित करने का कौशल हासिल किया है। शुरुआत में, जब उन्होंने

ग्राम संगठन और संकुल में प्रशिक्षण शुरू किया था, तब मास्टर ट्रेनर उनके साथ मिल कर प्रशिक्षण का नेतृत्व करते थे। धीरे–धीरे समता सखियों ने प्रशिक्षण के कौशल विकसित किए, आत्मविश्वासी बनीं और खुद प्रशिक्षण का नेतृत्व करने लगीं। दरअसल जब समता सखियों के दूसरे बैच ने काम शुरू किया, तब उन्हें पहले बैच के साथ जोड़े में काम करने को कहा गया क्योंकि वे अधिक अनुभवी थीं और कामकाज में वो उनके साथ मिल कर हाथ बँटा सकती थीं। पहले बैच की कई समता सखियाँ जैसे कि अंकिता और किरण बहुत शिक्षित नहीं थीं और लिखने में अक्षम थीं। लेकिन समय के साथ उन्होंने प्रशिक्षण और संवाद दोनों के लिए ज़रूरी कौशल सफलतापूर्वक हासिल किए।

1.4.2.2
आत्मविश्वास, आत्म–सम्मान, जेंडर परंपराओं की समझ और उन्हें बदलने की क्षमता

अंकिता से जब समता सखी बनने के बाद के उनके अनुभवों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले साहस और आत्मविश्वास का नाम लियाः "मेरा डर ख़त्म हो गया है।" सभी समता सखियों ने इस आत्मविश्वास को ज़ाहिर किया। किरण ने बताया कि पहले वे दूसरे गाँवों में अकेले जाने में डरती थीं। अब वे पैदल आती–जाती हैं और उन्हें कोई डर नहीं लगता। प्रिया ने कहा कि पहले वे अपने परिवार के पुरुषों तक से बातें करने में झिझकती थीं। अब वे किसी से भी बातें कर सकती हैं, चाहे वे 'गाँव के बड़े लोग' ही क्यों न हों। सुषमा एक सरपंच होने के बावजूद कई लोगों के सामने बोलने में मुश्किल का सामना करती थीं। अब उनमें इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वे बड़ी सभाओं को संबोधित कर सकती हैं, जिससे उन्हें सरपंच की अपनी भूमिका को अच्छे से निभाने में भी मदद मिली है। लीडर के रूप में समता सखियों की पहचान, समुदाय के सदस्यों और कर्मचारियों के साथ उनके कामकाज और सूचना तक उनकी पहुँच, इन सभी ने मिल कर उनके आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान को बढ़ाया है। इस प्रक्रिया में कामकाज के दौरान मास्टर ट्रेनरों के मार्गदर्शन ने भी भारी मदद की। जेंडर संबंधी भेदभाव की जानकारी, और इसकी जानकारी ने कि कैसे महिलाओं के काम और योगदानों को समाज में कमतर करके देखा जाता है, उनके खोए हुए आत्म–सम्मान को बहाल करने में मदद की है। अंकिता कहती हैं कि पहले वे घर पर काफ़ी सारे दबाव के आगे झुक जाती थीं, लेकिन अब घर में उनकी बात को सुना जाता है और सम्मान दिया जाता है। साहस और

फोटो क्रेडिट : प्रदीप गौर्स / शटरस्टॉक

आत्मविश्वास के बारे में बातें करते हुए किरण ने याद किया कि कैसे हाल में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने अपने गाँव में हुए नुक़सान पर जल्दी से एक रिपोर्ट बनाई और उसे ऊँचे अधिकारियों तक पहुँचाया। इसके नतीजे में पटवारी (ब्लॉक स्तर के भूमि अधिकारी) ने पंचायत सचिव के साथ मिल कर गाँव का दौरा किया और नुक़सान को आँका। किरण इस बात का श्रेय समता सखी की अपनी भूमिका को देती हैं, जिसके बिना वे यह क़दम नहीं उठा पाई होतीं, या उन्हें नहीं पता होता कि किसको और क्या लिखना है। अदिति जैसी एक मास्टर ट्रेनर ने भी, जो कई वर्षों से काम कर रही हैं और जिन्होंने कई प्रशिक्षण हासिल किए हैं, यह महसूस किया कि आनंदी की ट्रेनिंग, उनकी मौजूदा भूमिका और उन्हें हासिल हुई पहचान ने जेंडर के बारे में उनकी समझदारी को गहराई दी है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है और अपने डरों पर क़ाबू पाने में मदद की है। उन्होंने शोध टीम को मज़ाक़ में और गर्व के साथ यह बताया कि भले ही उन्हें पहले टी.ओ.टी. (प्रशिक्षणकर्ता होने का प्रशिक्षण) मिल चुका था, अब जाकर मास्टर ट्रेनर के रूप में ही उन्होंने अपने प्रशिक्षण को साकार किया है – और अब वे सचमुच में प्रशिक्षणकर्ताओं की प्रशिक्षणकर्ता हैं।

समता सखियों ने सत्ताधारकों से बात करने का आत्मविश्वास हासिल किया है। वे सिर्फ़ ग्राम पंचायत के स्तर पर ही नहीं, बल्कि जनपद के स्तर पर, प्रेरकों से और कई मामलों में ब्लॉक नोडल अधिकारियों तक से संवाद कर सकती हैं। मिसाल के लिए, जब जनपद स्तर का एक कर्मचारी सहयोग नहीं दे रहा था, तब समता सखियों ने सी.ई.ओ., जनपद और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर (डी.पी.एम.), डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट (डी.एम.एम.यू.) तक अपनी बात पहुँचाई, ताकि संबंधित अधिकारी पर अपनी भूमिका अदा करने के लिए दबाव डाला जा सके। प्रेरकों के संबंध में, समता सखियों ने संकुल बैठकों में, और नोडल अधिकारियों के सामने, उनके साथ काम करने की अपनी चुनौतियों को अक्सर उठाया। इससे प्रेरकों की जवाबदेही बनी और उन्हें अपने काम के प्रति सहयोगपूर्ण और सजग होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, सभी समता सखियाँ और मास्टर ट्रेनर जेंडर परंपराओं के बारे में अपनी समझ को सामने रखती हैं और यह बताती हैं कि उन्होंने अपने घरों में इन पिछड़ी मान्यताओं और प्रथाओं को किन–किन तरीक़ों से चुनौती दी। समता सखियों के साथ एफ़.जी.डी. के दौरान गीता ने बताया कि उन्होंने अपने नाम से एक घर बनाया है, और बाहर जाने और दूसरे लोगों के साथ संपर्क करने के अधिकार हासिल किए हैं। उन्हीं के शब्दों में, "हम भी निकलेंगे, कब तक घर में घुट–घुट कर मरेंगे, घूँघट में रहेंगे? हमारा भी अधिकार है।" लगभग सभी समता सखियों ने यह ज़ाहिर किया कि वे संपत्ति के अधिकार और घर के बाहर जाने की अहमियत को समझती हैं। अंकिता और सुषमा की तरह कइयों ने ज़मीन के काग़ज़ात में अपने नाम को शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ी।

अधिकतर समता सखियाँ बाहर आने–जाने की आज़ादी प्राप्त कर सकीं। शुरुआत में, उन्होंने अक्सर अपने परिवार के सदस्यों की तरफ़ से विरोध का सामना किया। लेकिन जब आनंदी की प्रोजेक्ट टीम उनके परिवार से मिली और उन्हें काम के बारे में समझाया, और जब समता सखियों को समुदाय और सरकारी कर्मचारियों की तरफ़ से पहचान मिलने लगी, तब ज़्यादातर मामलों में हालात बदल गए। एकाध मामलों में, विरोध बना रहा और हिंसा तक हुई, जैसे कि जब एक समता सखी को दिन का काम पूरा करके घर पहुँचने में अधिक समय लगा। ऐसे मामलों में समता सखियों और मास्टर ट्रेनरों द्वारा एक साथ उस परिवार में जाकर अपनी एकजुटता को ज़ाहिर करना और उन्हें सलाह देना ज़रूरी बन गया। इस काम से अच्छा–ख़ासा मानदेय मिलता है और समुदाय की भलाई होती है, इन तथ्यों ने भी आने–जाने और समय आदि को लेकर अधिक आज़ादी हासिल करने में मदद की। एक मास्टर ट्रेनर ने बताया कि बातचीत और सलाह–मशविरे के बावजूद समता सखी मीनू की समस्या बनी रही और इसने उनके काम पर असर डाला। लेकिन एफ़.जी.डी. के दौरान मीनू ने इस बात से इन्कार किया और कहा कि उनके पति ने गुजरात एक्सपोज़र विज़िट तक के लिए जाने की अनुमति उन्हें दी थी। मास्टर ट्रेनर और मीनू की बातों के बीच में यह फ़र्क़ इस वजह से भी हो सकता है कि मीनू अपने घरेलू दायरे में हासिल किए गए कुछ सकारात्मक बदलावों और जीत को दिखाना चाहती हों। शायद वे टकरावों और विरोधों पर उतना ज़ोर नहीं देना चाहती हों। संभव है कि यह फ़र्क़ इस वजह से भी हो कि वे अपने घर में होने वाले विरोध को दूसरों के सामने नहीं लाना चाहती हों।

बाहर आने–जाने के साथ ही जुड़ा हुआ मुद्दा बिना भुगतान के किए जाने वाले घरेलू काम का है। इसकी ज़िम्मेदारी अक्सर महिलाओं पर आती है, जिसके चलते समता सखियों के पास अपने काम को पूरा करने के लिए कम समय मिलता है। *किसका पलड़ा भारी* नामक जिस टूल से वे पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में परिचित हुई थीं, और जिसके साथ उन्होंने काफ़ी समय तक प्रशिक्षण दिया, वह

महिलाओं के इसी श्रम की बात करता है, जिसको कभी मान्यता नहीं दी जाती। वह इसकी भी बात करता है कि फ़ैसलों में उनकी भूमिका बहुत कम होती है। जब उनसे पूछा गया कि उनके लिए जेंडर समानता का क्या मतलब है तो सभी समता सखियों ने कहा कि चाहे घर हो या घर से बाहर, महिलाओं और पुरुषों को निर्णय लेने और सभी प्रकार के कार्यों में समान रूप से भाग लेना चाहिए। उनमें से ज़्यादातर ने घर के काम और फ़ैसले लेने के मामलों में कुछ बदलावों की शुरुआत की है। जैसे, अंकिता ने बताया कि पहले घर के सारे काम का बोझ उनके सिर पर था। आनंदी से जुड़ने के बाद धीरे–धीरे वे अपने पति और बेटों के साथ इस पर चर्चा करने लगीं कि घरेलू काम के साथ–साथ सभी प्रकार के कामों को महिलाओं और पुरुषों द्वारा मिल–बाँट कर करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि एक परिवार के रूप में यह ज़रूरी है कि हरेक व्यक्ति सभी प्रकार के कामों और निर्णय लेने में भाग ले। धीरे–धीरे उनके पति और बेटों ने घर पर अधिक ज़िम्मेदारियाँ उठानी शुरू कर दीं। वे बहुत प्यार से याद करती हैं कि जब भी वे काम के सिलसिले में बाहर जातीं तो उनके पति (जिनका इस साल की शुरुआत में निधन हो गया) हमेशा उनके लिए गर्म ख़ाना बना कर रखते थे। मास्टर ट्रेनर अदिति ने बताया कि उनके घर के सभी सदस्य मिल कर घर के काम करते और फ़ैसले लेते हैं। उन्होंने बताया कि फ़ैसले लेते समय सभी साथ बैठते हैं और सबकी बात सुनी जाती है। इसके अलावा वे चाहती हैं कि उनका बेटा घर के काम में भाग ले, भले ही उसकी पत्नी घर में मौजूद हो। प्रिया ने बताया कि अब उनके पति हर चीज़ में उनकी राय माँगते हैं, जैसे कौन–से बीज बोए जाएँ और आमदनी को कैसे ख़र्च किया जाए। अनेक समता सखियों ने अपने घर के सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर प्रभावित किया है। जैसे किरण, जो एक विधवा हैं, अपने जेठ को इस बात के लिए राज़ी करने में कामयाब हुईं कि वो उनकी बेटी की कॉलेज की शिक्षा चलते रहने दें और उसे एक मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति भी दें। प्रिया ने भी अपनी ननद की नर्सिंग की ट्रेनिंग का समर्थन किया और उसके लिए समूह से क़र्ज़ भी लिया।

समता सखियों ने बदलावों के लिए वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया है। वे समझती हैं कि बदलाव धीरे–धीरे आते हैं और हमेशा लड़ाई से काम नहीं बनता। अंकिता ने कहा कि उनके अपने परिवार में और समुदाय में झगड़े और लड़ाइयाँ हालात को और बुरा बना सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि अच्छे से बात की जाए और लोगों को तर्क और धैर्य के साथ समझाया जाए। अपने घरों में, अधिकतर समता सखियों ने महिलाओं के बाहर आने–जाने और घरेलू काम को मिल–जुल कर करने जैसे बदलाव लाने के लिए, अपने परिवार से बातचीत की और अपने विचारों को उनके सामने रखा। समता सखियाँ अधिकारों को लेकर मुखर रही हैं, इसलिए खुले प्रतिरोध के बजाए संवाद के ज़रिए परिवार में बदलाव का उनका यह रास्ता कमज़ोरी नहीं बल्कि रणनीतिक कौशल का प्रतीक है। यह दिखाता है कि वे यह समझती हैं कि परंपराओं में बदलाव धीरे–धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है जो संवाद से और मानसिकता में बदलाव से पूरी होती है। समुदाय में जेंडर परंपराओं को चुनौती देने की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब काम के लिए उनके बाहर जाने पर लोगों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। "बड़ी मैडम बन के निकल रही है, पता नहीं कहाँ जाती है" जैसी बातों के जवाब में वे बतातीं कि वे क्या काम करती हैं और कभी–कभी पलट कर जवाब भी दे देतीं कि "अगर पुरुष कर्मचारी हो सकता है, तो महिला क्यों नहीं?" समता सखियों के लिए एक रणनीति यह थी कि वे अपने पति का समर्थन और भरोसा हासिल करें। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने काम के बारे में उनसे बातें कीं, अपने पति को शुरू–शुरू में बैठकों और गाँवों में साथ ले गईं ताकि वे उनके काम को समझ सकें और अपनी पत्नी पर संदेह न करें। एक बार पति का समर्थन मिल जाने के बाद, परिवारों और गाँव के लोगों का सामना करना आसान हो गया। इसके अलावा, जैसे वे काम करती गईं और सामाजिक गतिविधि के ज़रिए गाँव के अधिक से अधिक लोगों को मदद करती रहीं, लोगों में समझदारी भी बढ़ी और उन्होंने उनके बाहर आने–जाने को लेकर टिप्पणी करनी बंद कर दी।

समुदाय में जेंडर परंपराओं को दूसरी चुनौती इस तरह दी गई कि समता सखियों ने पंचायत कार्यालयों के दौरे किए और ग्राम सभाओं में माँगें उठाईं – परंपरागत रूप से ये जगहें पुरुषों की मानी जाती हैं। अंकिता ने एक घटना के बारे में बताया कि जब उन्होंने ग्राम सभा का दौरा किया तो उन पर सवाल उठाए गए क्योंकि ग्राम सभा में जाना पुरुषों का काम माना जाता था और महिलाएँ कभी भी बैठकों में नहीं आती थीं। फिर अंकिता और भी अधिक महिलाओं को ग्राम सभा में लेकर आईं ताकि उस जगह पर अपना हक़ बना सकें और पेंशनों के लिए माँगों को उठा सकें। धीरे–धीरे गाँव के लिए उनके काम और ब्लॉक स्तर पर ऊँचे अधिकारियों के साथ उनके संपर्क से बदलाव आए और अब कई समता सखियों का पंचायत कार्यालयों में सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। सुषमा ने बताया कि अब पंचायत कार्यालय में पुरुषों से अधिक महिलाएँ आती हैं जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। लोक अधिकार

केंद्र में समता सखियों की उपस्थिति ने भी जेंडर परंपराओं को चुनौती दी है और प्रशासनिक कार्यालयों में महिलाओं की उपस्थिति और उनकी आवाज़ को मज़बूत बनाया है, जबकि ये ऐसी जगहें हैं जिनको अक्सर पुरुषों से ही जोड़ कर देखा जाता है।

जेंडर समानता के बारे में सवाल करने पर समता सखियों ने ढाँचागत सामाजिक परंपराओं से जुड़े मुद्दों की बात की, जैसे संपत्ति के अधिकार, आने–जाने और काम करने के अधिकार, हिंसा मुक्त जीवन जीने के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और घर के काम को मिल–बाँट कर करने का मुद्दा। उन्होंने यह समझ भी दिखाई कि कैसे जातीय भेदभाव जेंडर भेदभाव के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मास्टर ट्रेनर अदिति ने ज़िक्र किया कि जेंडर ग़ैरबराबरी सिर्फ़ महिलाओं के उत्पीड़न की बात नहीं है, बल्कि यह किसी भी रूप में उत्पीड़न की बात है। सिर्फ़ समता सखी मीनू ने इस बात का थोड़ा विरोध किया कि महिलाओं को अपना अधिकार पुरुषों से लड़ कर लेना चाहिए। उन्होंने एक घटना के बारे में बताया जहाँ एक सरपंच की पत्नी ने अलग रहने और गुज़ारा भत्ता की माँग की जब उनका पति एक दूसरी पत्नी को घर ले आया। मीनू की कहानी में, इस बात को लेकर एक असहजता है कि पत्नी अपने पति की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अलग रहना चाहती थी, भले ही वह बदतमीज़ी करता था या उसने दोबारा शादी कर ली थी। दूसरी समता सखियों ने इस बात पर कोई असहजता नहीं दिखाई कि एक महिला अपने पति से अलग रहना चाहती है। उनकी कोशिश रहती है कि वे परिवार को समझाएँ ताकि पति–पत्नी एक हिंसा मुक्त माहौल में साथ रह सकें। यह बातचीत नाकाम हो जाने की स्थिति में और उत्पीड़न जारी रहने पर, वे समझती हैं कि पत्नी के पास अलग होने, गुज़ारा ख़र्च की माँग करने और पुलिस कार्रवाई की माँग करने का अधिकार है। इस तरह, समता सखियों ने पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं किया।

इसके अलावा कुछ मामलों में जेंडर संबंधी अधिकारों की जागरूकता को गतिविधियों में बदलने की प्रक्रिया सामाजिक परंपराओं से प्रभावित होती रही। जैसे कि एक मामले में, एक समता सखी ने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार वालों ने उनकी ननद की शादी के लिए दहेज़ जमा करके रखा था क्योंकि दूल्हा बहुत अच्छा था। यह देखना दिलचस्प है कि ये वही समता सखी हैं जिन्होंने अपनी ननद की नर्सिंग की ट्रेनिंग का सक्रिय रूप से समर्थन किया था और धन जुटाया था। जब उनसे यह पूछा गया कि वे दहेज़ पर क्यों विचार कर रही थीं, तब उन्होंने कहा कि दूल्हा वास्तव में बहुत अच्छा है और वह शादी के बाद उनकी ननद को काम करने की 'इजाज़त' देगा। इस तरह वे दहेज़ देने को राज़ी थीं ताकि यह शादी हो जाए। यह दिखाता है कि जबकि इस समता सखी ने कुछ सामाजिक परंपराओं पर सवाल उठाए, जैसे कि काम के लिए भुगतान का अधिकार, वहीं वे दहेज़ जैसी कुछ दूसरी परंपराओं का विरोध करने में सक्षम नहीं हुईं। जेंडर और सामाजिक परंपराओं को चुनौती लंबे समय तक चलती रहने वाली प्रक्रियाएँ हैं और कभी–कभी कोई व्यक्ति कुछ का विरोध करने में सक्षम होता है जबकि दूसरों को उसे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि समता सखियों द्वारा कुछ मामलों, जैसे कि दहेज़ पर राज़ी होना बहुत कम बार देखा गया है। असल में ज़्यादातर समता सखियाँ महिलाओं के अधिकारों के बारे में एक सशक्त जागरूकता ज़ाहिर करती हैं, हालाँकि उनके अपने घरों में इन अधिकारों पर आधारित बदलावों के स्तर अलग–अलग रहे हैं। अंकिता के शब्दों में, जेंडर समानता वाले एक समाज में, "सभी काम महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबर बँटे होने चाहिए, और महिलाओं के पास ज़मीन और घरों का मालिकाना और जायदाद पर बराबर अधिकार होना चाहिए। पति और पत्नी को साथ मिल कर फ़ैसले लेने चाहिए और महिलाओं के ख़िलाफ़ कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए।"

1.4.2.3 नेतृत्व करने और सामाजिक गतिविधि करने की क्षमता

समता सखियों ने व्यापक मुद्दों पर काम किया है जैसे कि विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य) कार्ड और दूसरे पहचान पत्रों को जारी करवाना, आवास, पानी, भूमि, मनरेगा के तहत रोज़गार कार्ड और साथ में घरेलू हिंसा जैसे मामले। कोविड–19 के दौरान उन्होंने जागरूकता फैलाने में ज़िला प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से काम किया, वापस लौट रहे प्रवासी मज़दूरों समेत पीड़ित लोगों को क्वारंटीन में रखने में मदद की, लोगों के राशन और जॉब कार्डों को लिंक किया ताकि आर्थिक तौर पर उनका गुज़ारा सुनिश्चित किया जा सके, महिलाओं को मास्क और साबुन बनाने के लिए प्रेरित किया और साथ ही उन्होंने कोविड–19 के बारे में ग़लत सूचनाओं और चिंताओं को दूर किया। जब

सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स संबंधी नीति की घोषणा की (जिसमें हरेक स्ट्रीट वेंडर परिवार को 10,000 रुपए दिए जाने थे), ज़िला और ब्लॉक एम.पी.एस.आर.एल.एम. कर्मियों ने समता सखियों को स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने और योजना के तहत उनका पंजीकरण करने को कहा। समता सखियों की जानकारी, विश्वास और मदद करने की इच्छा के चलते, उन्होंने अनेक लोगों को बैंकों से भी जोड़ा और इसकी जाँच की कि उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ मिल रहे हैं कि नहीं, ख़ास कर कोविड–19 की अवधि में। जब कुछ लोगों को राशि नहीं मिल रही थी, समता सखियों ने ज़िला और ब्लॉक कर्मियों से पूछा और उन्हें बताया कि यह बहुत दुख की बात है कि लोगों ने अपने नाम दर्ज़ कराए लेकिन उन्हें वादे की राशि नहीं मिली।

अधिकतर मामले ग्राम संगठन में जेंडर प्रशिक्षण और चर्चा के दौरान उठे और गाँव के स्तर पर गतिविधि करके या लोक अधिकार केंद्र के द्वारा उन्हें सुलझाया गया। ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें समता सखियों ने किसी यात्रा के दौरान या दूसरी जगहों पर देखे गए मामलों पर गतिविधि की। मिसाल के लिए, सुषमा ने एक घटना बताई जब वे बैंक जा रही थीं और उन्होंने सड़क पर एक महिला को देखा जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। सुषमा ने फ़ौरन आनंदी परियोजना टीम के सदस्यों को फ़ोन किया जो पास में थे और उनके पास एक गाड़ी थी। फिर वह उस महिला को कराहल के अस्पताल में ले गए। बच्चे के जन्म और माँ–शिशु के स्वस्थ होने की ख़बर पाने तक वे उस अस्पताल में रहीं। इस बात को समझते हुए कि गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से गर्भवती माँओं को जोखिम का सामना करना पड़ता है, सुषमा ने सरपंच के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने गाँव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया। अब अस्पताल प्रशासन की मदद से केंद्र बखूबी काम कर रहा है। समता सखी प्रियंका द्वारा बताई गई एक दूसरी कहानी दिखाती है कि कैसे एक बस यात्रा के दौरान वे एक विकलांग आदमी से मिलीं और उन्होंने विकलांगता प्रमाण पत्र दिलाने में उनकी मदद की, भले ही वे किसी और ज़िले के थे। वे उस आदमी के साथ पड़ोस के ज़िला अस्पताल गईं ताकि वे उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र दिला सकें। फिर प्रियंका ने पंचायत के ज़रिए विकलांगता पेंशन हासिल करने की पूरी प्रक्रिया उन्हें समझाई। प्रियंका के निर्देशों का पालन करके वे अपना पेंशन पाने में सक्षम रहे।

समता सखियों ने व्यापक मुद्दों पर नेतृत्व करने और सामाजिक गतिविधि करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने सामाजिक गतिविधि में भागीदारी को प्रोत्साहित किया है और समुदाय की महिलाओं को ऐसी गतिविधियाँ शुरू करने की प्रेरणा दी है। पानी जैसे मुद्दे गाँव में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं, और ऐसे मुद्दों पर साथ मिल कर काम करने में उन्हें फ़ायदा दिखता है। एक एफ़.जी.डी. में, समता सखी सोनू और प्रीति ने बताया कि एक गाँव की महिलाओं ने ग्राम संगठन में प्रशिक्षण के दौरान अपने गाँव में पीने के पानी की दिक़्क़त के बारे में बताया। लोगों के घरों में पानी का नल नहीं था जिसके चलते महिलाओं को पानी लाने के लिए आने–जाने में काफ़ी समय और मेहनत लगानी पड़ती थी। पंचायत उनकी ज़रूरतों की सुनवाई नहीं कर रहा था और पुरुषों को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि पानी लाना महिलाओं का काम था। समता सखियों ने पुरुषों को एक बैठक में बुलाया और पानी की समस्या हल करने की ज़रूरत को लेकर एक आम सहमति तैयार की। इसके बाद उन्होंने एक आवेदन लिखा और समता सखियों के साथ 40 महिलाएँ सरपंच से मिलीं। सरपंच ने शुरू में मुद्दे को टालने की कोशिश की लेकिन समता सखियों के सामूहिक दबाव के आगे वह झुक गया और उसने आवेदन को आगे बढ़ाया। अगले महीने सोनू और प्रीति ने देखा कि सरपंच ने एक बोरवेल निर्माण का इंतज़ाम किया है। उन्होंने इसका स्वागत करते हुए कहा कि "महिलाओं में ही ताक़त होती है।" एक दूसरी घटना बताते हुए समता सखी रश्मि ने याद किया कि कैसे ग्राम संगठन सदस्यों ने निगरानी समिति बना कर एक शराबी और बुरे बरताव करने वाले पति के मामले को सुलझाया। महिलाएँ एक साथ मिल कर पति और परिवार से बात करने गईं और उन्हें शराब छोड़ने को मनाया जिसकी वजह से हिंसा भी बंद हो गई। समिति ने मामले पर नज़र बनाए रखी और अगले कई महीनों तक क़रीबी से निगरानी की और देखा कि परिवार हिंसा और शराब से मुक्त हुआ कि नहीं। लेकिन ऐसी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी अभी शुरुआती अवस्था में है।

कभी–कभी ऐसी गतिविधि के दौरान, समता सखियों को अनेक क़िस्म की चुनौतियों से निबटना पड़ता है। समता सखी रश्मि ने बताया कि कैसे एक गाँव के एक पंचायत सचिव महिलाओं से राशन कार्ड बनाने के लिए ज़रूरी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत लिया करते थे। जब उनसे बात की गई तो सचिव ने झूठ बोला और कहा कि महिलाओं ने अपना कार्ड खो दिया है और इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। रश्मि ने महिलाओं के साथ मिल कर रणनीति बनाई और जिस दिन जनपद सी.ई.ओ. ग्राम पंचायत के दौरे पर थे, सभी महिलाएँ

पंचायत गईं और उन्होंने सचिव के बारे में शिकायत की। सी.ई.ओ. ने फ़ौरन इस पर ध्यान दिया, ख़ास कर जब उन्होंने देखा कि समता सखियाँ भी वहाँ मौजूद थीं, सचिव को डाँटा और उन्हें निर्देश दिए कि वह तत्काल कार्रवाई करे। इसका फ़ौरन नतीजा निकला और उन सभी महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। ऐसे अनेक मामले हैं कि कैसे जनपद सी.ई.ओ. के सामने मामले को उठाने, या उठाने की चेतावनी भर देने से पंचायत सचिव और सरपंच कार्रवाई करने पर बाध्य हुए। सामूहिक दबाव की रणनीति भी अच्छे से काम करती है। अधिकतर मामलों को पंचायत स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाती है। जो मामले वहाँ नहीं सुलझ पाते हैं, उनमें लोक अधिकार केंद्र महिलाओं की मदद करता है। लोक अधिकार केंद्र में समता सखियाँ महिलाओं को प्रासंगिक लाइन डिपार्टमेंट, अस्पतालों या पुलिस थानों से परिचित कराती हैं, ताकि उनके विभिन्न अधिकारों और हक़ों तक उनकी पहुँच को आसान बनाया जा सके।

असल में जिस तरह से समता सखियाँ सभी क़िस्म के काम में लगा दी गई हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लिए लोगों की सूचियाँ बनाना भी शामिल है, इसके चलते कभी–कभार उन्हें सेवा मुहैया कराने वाले एजेंट्स के रूप में देखा जा सकता है जो ज़िला और ब्लॉक प्रशासन की मदद करती हैं। जो बात उन्हें सेवा मुहैया कराने वाले एजेंट बनने से बचा लेती है, वह है जेंडर भेदभाव और अधिकारों को लेकर उनकी मज़बूत समझ और सामाजिक गतिविधि में उनका नेतृत्व, जिसमें अधिकारियों पर सवाल उठाना और उनसे संवाद करना, और जेंडर परंपराओं को चुनौती देना शामिल है। इस तरह, जहाँ वे योजनाओं के बीच में संबंधों को स्थापित करती हैं, और ऐसे विभिन्न काम करती हैं जो बेहतर सेवाओं को संभव बनाते हैं, वहीं ऐसा करने की प्रक्रिया में अक्सर ऐसे संवाद भी शामिल रहते हैं जो जागरूकता पैदा करते हैं, सामाजिक संस्थानों के बीच में आम सहमति बनाते हैं और सामाजिक गतिविधि को संभव करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनकी गतिविधियाँ अधिकारों और हक़ों के बारे में ज्ञान और नज़रिया विकसित करते हुए, और सेवाओं और योजनाओं तक उनकी पहुँच को बढ़ाते हुए, व्यक्तियों के सशक्तीकरण में मदद करती हैं।

सभी समता सखियाँ विभिन्न तरीक़ों से और विभिन्न स्तरों पर सामाजिक गतिविधि संचालित करने की क्षमता रखती हैं। शुरू में उन्हें इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझने के लिए मास्टर ट्रेनरों के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ी। लेकिन धीरे–धीरे उन्होंने आत्मविश्वास, ज्ञान और पंचायतों और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में अपनी पहुँच हासिल कर ली, जिसने उन्हें फ़ैसले लेने और अपने बूते पर गतिविधि करने में सक्षम बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने आम महिलाओं तक को सशक्त बनाया कि वे पदाधिकारियों के सामने माँग पेश कर सकें और समाधान तलाश सकें। जैसे कि एक एफ़.जी.डी. के दौरान एक समता सखी ने कहा, "महिला की ताक़त के आगे, कुछ नहीं है।"

1.4.2.4
घरों, समुदायों और राज्य में एक लीडर के रूप में पहचान और पहुँच

सभी समता सखियों ने यह बात बताई कि उन्हें समुदाय और सरकारी कर्मचारियों से बहुत पहचान मिली है। यह स्थिति हमेशा नहीं थी। शुरू में समुदाय के सदस्य उन्हें चुप करा देते और उनके काम के बारे में और आने–जाने को लेकर संदेह ज़ाहिर करते थे। दूसरे गाँवों की ग्राम संगठन बैठकों में महिलाएँ और पुरुष अक्सर यह कहते हुए अपना अविश्वास ज़ाहिर करते कि इतने सारे लोग आए और उनके मुद्दों को दर्ज करके गए लेकिन कुछ भी हल नहीं हुआ। लेकिन जब समता सखियों ने अपने और दूसरे गाँवों में लोगों की मदद करनी शुरू की तो लोगों का व्यवहार बदला। उन्होंने सलाह और मदद के लिए समता सखियों को संपर्क करना शुरू किया। परिवारों के भीतर भी, परेशानी खड़ी करने वाले लोग शांत हो गए जब उनको यह बात समझ में आई कि समता सखियाँ उनके मुद्दों पर उनकी मदद कर सकती हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना, जाति प्रमाण पत्र बनवाना या पेंशन शुरू करवाना। जैसा अंकिता ने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताया, "उनको पता है कि मैं उनके साथ जाऊँगी तो उनका काम हो जाएगा।" प्रिया ने हँसते हुए अपने काम के चलते परिवार के सदस्यों और समुदाय से मिलने वाली पहचान के बारे में बताया, "अब मैं फ़ेमस हूँ।"

कई समता सखियों ने बताया कि कैसे समय के साथ सरपंचों और पंचायत सचिवों के रवैए में भी बदलाव आया है। अंकिता को इस पर भी गर्व है कि कैसे अब उन्हें पंचायत कार्यालय जाने पर कुर्सी दी जाती है। गीता ने बताया कि कैसे पंचायत कार्यालय में उन्हें चाय पेश की जाती है और उन्हें ध्यान से सुना जाता है। जनपद कार्यालय में भी उनकी पहचान स्थापित हो गई है। प्रियंका ने बताया कि वह जनपद के सी.ई.ओ. को भी जानती हैं और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर किसी भी

समय फ़ोन कर सकती हैं। अंकिता ने एक कहानी बताई कि कैसे कुछ महिलाएँ जब जनपद कर्मचारी से मिलने जा रही थीं तो उन्हें एक चपरासी ने वापस भेज दिया। लेकिन जब अंकिता उन महिलाओं के साथ गईं तब चपरासी ने माफ़ी माँगी और कहा कि अगर उसे पता रहता कि वे लोक अधिकार केंद्र जा रही थीं तो वह उन्हें कभी वापस नहीं लौटाता। दरअसल, लोक अधिकार केंद्र की मौजूदगी और इसका कामकाज ब्लॉक प्रशासनिक कार्यालयों में समता सखियों की पहचान और उनकी उपस्थिति को मज़बूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अगर समता सखियाँ किसी आवेदन को खुद आगे बढ़ाएँ तो उसकी सुनवाई निश्चित है। यह बात भी उनके अपने समुदाय और परिवारों में पहुँच और पहचान को स्थापित करने में मदद करती है। मास्टर ट्रेनर अदिति ने एक कहानी बताई कि कैसे उनके पति को कलेक्टर कार्यालय में अतिरिक्त सम्मान मिला, जब उनलोगों को पता लगा कि वे अदिति के पति हैं। सरकारी कर्मियों द्वारा ऐसी स्वीकृति ने उन्हें अपने परिवारों के भीतर भी ऊँची हैसियत और पहचान हासिल करने में मदद की है।

कोविड–19 के दौरान उन्होंने अपने नेतृत्व में ज़िला प्रशासन के साथ मिल कर जो सामाजिक गतिविधि चलाई, उसने भी उन्हें वैधता और पहचान दिलाने में मदद की। डी.पी.एम., एम.पी.एस.आर.एल.एम. ज़िला टीम, जनपद सी.ई.ओ. और कलेक्टर समेत सभी ने उनके काम की सराहना की। यह उनके काम की स्वीकृति की एक निशानी है कि समता सखियों और मास्टर ट्रेनरों को विभिन्न मंचों पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। इसमें ज़िला या एम.पी.एस.आर.एल.एम./डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. द्वारा आयोजित कार्यक्रम भी शामिल हैं। ख़ास कर उनके अपने गाँवों में भी समुदाय को भारी लाभ मिला है, जिसने उनके काम को एक स्वीकृति दिलाई है। इसके नतीजे में उनके कामों में टोका–टाकी और आलोचना बंद हो गई और लोग उनके प्रति सम्मान से पेश आने लगे। एफ़.जी.डी. के दौरान एम.पी.एस.आर.एल.एम. ब्लॉक और ज़िला टीमों ने भी समता सखियों द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए कामों की सराहना की। उनके काम पर बातें करते हुए एक ब्लॉक नोडल अधिकारी ने कहा कि समता सखियाँ वहाँ पहुँचती हैं जहाँ वे नहीं पहुँच पाते और अगर समता सखियाँ किसी जगह मौजूद होती हैं तो यह उतना ही प्रभावशाली होता है जितनी खुद किसी अधिकारी की उपस्थिति होती है। एक वरिष्ठ ज़िला टीम मेंबर ने कहा, "हमारे ज़िला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को भी समता सखियों के काम के बारे में सूचित किया है और बताया कि किस तरह उन्होंने जागरूकता और अधिकारों तक पहुँच बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारी बहनें राजनीतिक रूप से जागरूक हो गई हैं। अब उन्हें दबाया नहीं जा सकता है। वे ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनने में भी सक्षम हैं।"

1.4.2.5 सामाजिक पूँजी, मित्रता, एकजुटता और साथियों का नेटवर्क

सुषमा ने बताया कि समता सखियों और मास्टर ट्रेनरों के साथ मिलने–बाँटने से उनका तनाव और चिंताएँ दूर हो जाती हैं, "सुख–दुख की बातें कर के दिल हल्का हो जाता है।" इस तरह, इन लोगों का रिश्ता प्रोफेशनल सहकर्मी भर का नहीं रह गया है, उससे बढ़ कर वे अब दोस्त बन गई हैं जो अपने दर्द और खुशियों को आपस में बाँटती हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें समता सखियों ने एक दूसरे का साथ दिया और उनके बाहर आने–जाने और काम करने पर परिवारों के विरोध का सामना करने में एक दूसरे की मदद की। एक मामले में, एक समता सखी को अपने घर पर हिंसा का सामना कर पड़ा क्योंकि वे एक मीटिंग से देर से वापस लौटीं। ठीक अगले दिन मास्टर ट्रेनर और कई समता सखियों ने जाकर उनके पति से मुलाक़ात की और उसे समझाया कि क्यों उन्हें देरी हुई थी और हिंसा करके उसने कितनी ग़लती की। उन्होंने आपस में पैसे जुटा करके उसको एक मोबाइल फ़ोन भी ख़रीद दिया ताकि आगे कभी देरी होने पर वह अपने पति को सूचना दे पाएँ। मोबाइल फ़ोन ख़रीदना एक निगरानी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वहीं यह इस बात को भी ज़ाहिर करता है कि समता सखियों ने एक दूसरी समता सखी की मदद करने के लिए अपने पैसे ख़र्च किए ताकि वह समझदारी से घर पर मुद्दों को सुलझा सके।

समता सखियों और मास्टर ट्रेनरों ने एक दूसरे की मदद करने के लिए सहकर्मियों का एक करीबी नेटवर्क बनाया है। सहकर्मियों के बीच सीखने के लिए मासिक समीक्षा बैठकें एक औपचारिक मंच थीं। वे हमेशा फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे के संपर्क में रहती थीं, ताकि समता सखियाँ और मास्टर ट्रेनर एक दूसरे की मदद कर सकें और अपने काम के बारे में बातचीत कर सकें। ख़ास कर मास्टर ट्रेनरों ने समता सखियों द्वारा की गई अनेक सामाजिक गतिविधियों में मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने लोक अधिकार केंद्र में आगे रहते हुए कार्यों का नेतृत्व किया और समता सखियों को मामलों का डॉक्युमेन्टेशन और समाधान करने

में मदद की। मास्टर ट्रेनर अदिति समता सखियों को "मेरी दिदिया" कहती हैं, और उनका बहुत ख़्याल रखती हैं। कुछ संकुल और ग्राम संगठन नेता भी समता सखियों के महत्वपूर्ण सहयोगी बन गए हैं। अंकिता ने अपने एक मामले के बारे में बताया जब किसी ने उनकी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया था। इस मामले में न सिर्फ़ समता सखियों ने, बल्कि दूसरे ग्राम संगठन नेताओं और सदस्यों ने भी आगे बढ़ कर उनकी मदद की और अंकिता के दावे के समर्थन में पुलिस थाने गए।

हालाँकि शोध दल ने कुछ ऐसे मामले भी देखे जिनमें समता सखियों के बीच कुछेक विवाद हुए, कुछ विवाद समता सखियों और ग्राम संगठन और संकुल नेताओं के बीच भी हुए। समता सखियों के मामले में ऐसे विवाद मुख्यतः इसलिए सामने आए कि दूसरे बैच की कुछ शिक्षित समता सखियों को डॉक्युमेन्टेशन का अतिरिक्त काम लेना पड़ा, जिससे उनके काम का बोझ बढ़ गया। इसी के साथ, पहले बैच की कुछ समता सखियों को लगा कि उनकी अहमियत घट रही है क्योंकि वे डॉक्युमेन्टेशन में सक्षम नहीं हैं। ऐसी समस्याओं को मुख्यतः मास्टर ट्रेनरों की मध्यस्थता द्वारा हल कर लिया गया। इसके अलावा, कुछ संकुल और ग्राम संगठन नेताओं को इससे नाखुशी हुई कि समता सखियों को मानदेय दिया जा रहा है जबकि उन्हें नहीं। हालाँकि इन सबने ज़मीन पर कार्यक्रम की गतिविधियों में रुकावट नहीं डाली, लेकिन इसने कुछेक मामलों में एकजुटता निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया।

इसके बावजूद, साथियों का यह नेटवर्क समता सखियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक पूँजी बन गया। ये वे लोग थे जिनको समता सखियाँ कोई मामला हल करने के लिए फ़ोन कर सकती थीं, या कोई बात बता सकती थीं या किसी निजी पारिवारिक मुद्दे में मदद माँग सकती थीं। समता सखियों का प्रशासनिक कर्मियों और चुने हुए लीडरों के साथ संपर्क सामाजिक पूँजी का एक दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत था। लाइन डिपार्टमेंट कर्मियों, जनपद सी.ई.ओ., ज़िला कलेक्टर कार्यालय के लोगों के साथ–साथ सरपंच और पंचायत सचिवों तक समता सखियों का संपर्क एक अहम सामाजिक नेटवर्क था, जिसका उपयोग उन्होंने सामाजिक गतिविधि करने और ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों और हक़ों तक पहुँच बनाने के लिए किया। इस तरह सामुदायिक लीडरों के रूप में उभरने की प्रक्रिया में समता सखियों की दुनिया उनके घरों की चारदीवारी और पारिवारिक दायरों के बाहर विस्तृत हो गई।

1.4.3
मददगार पहलू, रुकावटें और मुश्किलों को दूर करने के उपाय

इस सेक्शन में मुख्य मददगार पहलुओं, रुकावटों और मुश्किलों को दूर करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद मार्च 2021 में जी.जे.पी. के मौजूदा चरण के अंत में समता सखियों द्वारा अनुभव की गई कुछ चुनौतियों पर एक चर्चा होगी।

1.4.3.1
मददगार पहलू

समता सखियों के चयन के मुख्य मानदंडों में से एक उनमें अपनी ज़िंदगी के संघर्षों का सामना करने का अनुभव था। वे आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आती थीं, उनमें से कुछ एकल महिलाएँ थीं, और कुछ को अपनी ज़िंदगियों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसने अपने समुदाय की दूसरी महिलाओं के सामने खड़े मुद्दों और समस्याओं के साथ जुड़ाव महसूस करने में उनकी मदद की, और बदलाव के लिए उनमें एक चाहत जगाई। जैसा कि समता सखी रश्मि ने कहा, "क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ, मैं दूसरी बहन की परेशानियों को समझ सकती हूँ।" इस तरह, संघर्ष का उनका अपना अनुभव समता सखियों के लिए अन्य महिलाओं के मुद्दों के साथ सहानुभूति रखने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थक रहा है।

कुछ समता सखियों के लिए सहयोगी और अनुकूल परिवारों ने भी मददगार के रूप में काम किया। हालाँकि कइयों को काम करने के लिए बातचीत करके घर पर विरोध को दूर करना पड़ा। उनमें से सभी एक लंबे समय से समूह/ग्राम संगठन/संकुल का हिस्सा रही हैं, जिसने उन्हें इन संस्थागत जगहों से परिचित कराया, जिसमें वे काम कर रही थीं। यह एक महत्वपूर्ण मददगार पहलू था। इसके अलावा, ज़्यादातर समता सखियों, ख़ास कर पहले बैच से आने वाली समता सखियों के पास समूह/ग्राम संगठन में लीडरशिप की भूमिका निभाने का अनुभव था। उनमें से कई सी.आर.पी. रह चुकी थीं। इसने भी उन्हें जी.जे.पी. के तहत सामुदायिक लीडर की भूमिका अपनाने में सक्षम बनाया।

इस बात का ज़िक्र करना भी महत्वपूर्ण है कि जी.जे.पी. रणनीति का एक प्रमुख मददगार पहलू मास्टर ट्रेनरों द्वारा लगातार मार्गदर्शन और समर्थन था। मास्टर ट्रेनरों से लगातार, और दैनिक आधार पर मिलने वाले समर्थन ने फ़ील्ड में जाने के उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद की। इसके अलावा, नारीवादी लीडरशिप के विकास के हरेक नतीजे ने दूसरे नतीजों में मदद की। जैसे सामाजिक पूँजी, मित्रता, एकजुटता और सहकर्मियों के एक नेटवर्क के विकास ने उन्हें सामाजिक गतिविधि का संचालन करने में और सामुदायिक लीडरों के रूप में अपनी स्वीकृति बनाने में मदद की।

1.4.3.2
सामुदायिक स्तर पर चुनौतियाँ और मुश्किलों को दूर करने के उपाय

समता सखियों ने सामुदायिक स्तर पर अनेक चुनौतियों का सामना किया है और समय बीतने के साथ उन्होंने ऐसा अनुभव और आत्मविश्वास हासिल किया है जिसके तहत वे उपयुक्त रणनीतियों का उपयोग कर उनसे निबट सकीं। शुरुआत में जब काम शुरू हुआ तब उनके अपने गाँवों में ही काफ़ी आलोचना होती थी क्योंकि एक महिला के लिए हर रोज़ काम के लिए बाहर जाना स्थापित जेंडर परंपराओं के ख़िलाफ़ था। प्रियंका ने बताया कि कैसे उनके गाँव के पुरुष कहते थे कि 'मैडमों' की तरह कपड़े पहन कर बाहर जाने वाली महिलाएँ गाँव में 'तांडव' मचाएँगी! ऐसी मुश्किलों को हल करने की एक रणनीति यह थी कि पति का विश्वास हासिल किया जाए, ताकि उन्हें घर पर एक समर्थन मिलता रहे। दूसरी रणनीति लोगों से बात करके उन्हें समझाने की थी और अपने काम को ही इसके एक सबूत के रूप में पेश करने की थी। अनेक समता सखियों ने बताया कि कैसे अपने गाँवों में उनके काम, और अपने गाँवों की ग्राम सभाओं में उनकी मौजूदगी ने लोगों का रवैया बदलने में मदद की। जैसे सुषमा बताती हैं कि कैसे उन्होंने एक आदमी की बीमारी के एक बहुत मुश्किल दौर में उसकी मदद की जो उनका आलोचक रहा था, और समूह की महिलाओं ने उसके अस्पताल में भर्ती होने के ख़र्च के लिए आपस में पैसे जुटाए। इसने न सिर्फ़ उनके लिए बल्कि गाँव की सभी समूह सदस्यों के लिए स्थिति को बदल डाला।

कभी–कभी समता सखियों को पलट कर जवाब देना पड़ा और कभी–कभी उन्हें धैर्य के साथ इंतज़ार करना पड़ा। इस तरह उन्होंने अपने सामने खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिरोध और बातचीत की मिली–जुली रणनीतियों का उपयोग किया। जैसे पहले जब समता सखियों ने दूसरे गाँवों में प्रशिक्षण लेना शुरू किया तब समुदाय के सदस्यों के बीच भरोसे की कमी थी। प्रियंका ने बताया कि जब वे प्रशिक्षण के लिए पहले पहल एक नए गाँव में गईं तब वहाँ पुरुषों और महिलाओं ने उन्हें संदेह से देखा और कहा कि इतने सारे लोग आए और गए और उनकी ज़िंदगियों में कोई बदलाव नहीं आया। प्रियंका ने धीरज रखा और अपना काम जारी रखा, उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि वे न कुछ लेने आई हैं और न कुछ देने, बल्कि जानकारी बाँटने आई हैं। उन्होंने पुरुषों से पूछा कि क्या उन्हें मनरेगा के लिए रोज़गार कार्ड मिला है। यह जानने के बाद कि उन्हें कार्ड नहीं मिले हैं, वे उन्हें पंचायत सचिव के पास ले गईं और कार्ड जारी करवाए। दूसरे गाँव में उन्होंने *दुख सुख* टूल के साथ प्रशिक्षण शुरू किया, जिसने कई महिलाओं को बहुत भावुक बना दिया और जिन मुद्दों की चर्चा की गई वे उससे जुड़ाव महसूस करने में सक्षम हुईं। अपने अगले दौरे में प्रियंका ने पेंशन और राशन जैसे कुछ अधिकारों तक पहुँचने में उनकी मदद की जिनसे अब तक उन्हें वंचित रखा गया था। इसने उनके काम को एक स्वीकृति और वैधता दिलाई।

दूसरी समता सखियों ने समान अनुभव बयान किए। उनमें से अनेक ने बताया कि कैसे धैर्य और अच्छा व्यवहार, लगातार मौजूदगी और अधिकारों और हक़ों को दिलाने में मदद करने से हालात बदले और लोगों के बीच उनके लिए भरोसा पैदा हुआ। सिर्फ़ कुछेक मामलों में ही उनकी कोशिशों के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी। मीनू ने एक गाँव के बारे में बताया जहाँ ग्राम संगठन के अध्यक्ष का पति एक प्रभावशाली जाति से आता था और वह ग्राम संगठन बैठकों को संचालित किया करता था। वह वंचित जातियों से जुड़े सदस्यों की समस्याओं को नहीं सुना करता था। मीनू और ब्लॉक नोडल अधिकारी की काफ़ी कोशिशों के बावजूद यह स्थिति नहीं बदल सकी।

1.4.3.3
परिवार के स्तर पर चुनौतियाँ और मुश्किलों को दूर करने के उपाय

समता सखियों ने अपने घरों में भी, ख़ास कर अपने आने–जाने को लेकर चुनौतियों का सामना किया है। इन

चुनौतियों से निबटने की रणनीतियों में यह शामिल था कि उन्होंने अपने पति को अपने प्रशिक्षण और काम का विवरण बताया। वे उन्हें कुछ बैठकों में और काम की जगहों पर ले गईं और उन्होंने मास्टर ट्रेनर और दूसरी समता सखियों को अपने घर आ कर अपने काम की ज़रूरतों के बारे में अपने पति को समझाने के लिए कहा। उनका मासिक मानदेय और साथ में एम.पी.एस.आर.एल.एम. तथा दूसरे सरकारी कर्मियों से उनको मिली पहचान ने भी उनके काम और बाहर आने–जाने को स्वीकृति दिलाने में मदद की। पति का समर्थन मिलने के बाद, फिर समता सखी अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ यह बात करने में सक्षम हो गईं कि वे कम से कम उनके कामकाज को स्वीकार कर लें, भले ही वे इसको सीधे–सीधे समर्थन न दें। असल में एक बार जब यह साफ़ हो गया कि समता सखियों के पास लोगों को अपने अधिकारों और हक़ों को हासिल करने में मदद करने लायक़ ज्ञान, सूचना और संपर्क है, तब परिवार के सदस्यों ने भी अपनी राय बदली और विभिन्न मामलों में उनसे मदद और सलाह माँगने लगे।

1.4.3.4
पंचायत और लाइन डिपार्टमेंट्स के स्तर पर चुनौतियाँ और मुश्किलों को दूर करने के उपाय

ग्राम पंचायतों के स्तर पर शुरू में ऐसे मौक़े आए थे जब समता सखियों को असहयोग भरे और रूखे व्यवहार का सामना करना पड़ा। इससे निबटने की रणनीतियों में से एक यह थी कि उन्होंने कई महिलाओं को एकजुट करके सामूहिक दबाव बनाया और अपनी माँग उठाई। जब यह कारगर नहीं रहा, तब समता सखियों ने मुद्दे को जनपद कार्यालय में उठाया। ऐसे समय भी आए जब जनपद सी.ई.ओ. ने पंचायत सचिव को बुला कर या उन्हें फ़ोन करके उन्हें फटकार लगाई और निर्देश दिए कि वे महिलाओं की माँगों पर ध्यान दें और कार्रवाई करें। यह क़रीब–क़रीब सभी मामलों में कारगर रहा। प्रिया ने भी बताया कि एक ब्लॉक जेंडर फ़ोरम मीटिंग में ज़िला कलेक्टर ने समता सखियों और मास्टर ट्रेनरों की मौजूदगी में सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को बुलाया था। उन्होंने सदस्यों को काम के बारे में समझाया और उनसे सहयोग का आग्रह किया। इसके बाद से हालात आसान हो गए थे और पंचायत प्रतिनिधि समता सखियों और उन दूसरी महिलाओं के प्रति अधिक सम्मान के साथ पेश आने लगे थे जो पंचायत और ग्राम सभा में मामलों को उठाती थीं। अधिकतर ब्लॉक नोडल अधिकारी समता सखियों के पंचायतों के साथ कामकाज में सहयोगी रहे थे। लेकिन एक ऐसा मामला था जब एक ब्लॉक नोडल अधिकारी ने एक समता सखी को कहा कि उनके द्वारा पंचायत सचिव/सरपंच को लगातार परेशान करते रहने से एम.पी.एस.आर.एल.एम. और पंचायती संस्थाओं के बीच असामंजस्य पैदा हो सकता है। लेकिन आम तौर पर ब्लॉक नोडल अधिकारियों ने पंचायत कर्मियों से यह आग्रह किया कि वे समता सखियों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएँ क्योंकि वे उचित माँगें उठा रही थीं।

ज़्यादातर लाइन डिपार्टमेंट कर्मचारियों ने सहयोग दिया, पर कभी–कभार एकाध मुद्दों पर विभागीय कर्मियों ने सहयोग नहीं दिया। लाइन डिपार्टमेंट के कर्मचारी के साथ कुछ दौर की बातचीत से जब स्थिति नहीं सुधरी तो समता सखियों ने मामले को डी.पी.एम. श्योपुर के सामने उठाया। डी.पी.एम. ने भी उस कर्मचारी से बात की लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तब समस्या को ज़िला कलेक्टर कार्यालय में उठाया गया जिन्होंने उस कर्मचारी को फ़ोन किया और उन्हें निर्देश दिया कि लोक अधिकार केंद्र के ज़रिए समता सखियों द्वारा लाए गए मामलों पर कार्रवाई करें। तब से वह कर्मचारी सजग और मददगार हो गई। इस तरह समता सखियों ने सीखा कि किन मामलों को आगे उठाना है, कब और किस स्तर पर उठाना है।

1.4.3.5
आंतरिक चुनौतियाँ, सामुदायिक संस्थाओं के पदाधिकारियों या सदस्यों के साथ चुनौतियाँ, और मुश्किलों को दूर करने के उपाय

शोध दल ने कुछेक ऐसे मामले देखे जिनमें समता सखियों के बीच, या समता सखियों और संकुल और ग्राम संगठन पदाधिकारियों के बीच टकराव हुआ था। एफ़.जी.डी. के दौरान परियोजना टीम ने सूचना दी कि दूसरे बैच की कुछ समता सखियों ने महसूस किया कि उनके शिक्षित होने के कारण उन्हें डॉक्युमेन्टेशन की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी दी गई है जबकि पहले बैच की समता सखियों को यह काम नहीं करना पड़ता था। पहले बैच की समता सखियों ने भी महसूस किया कि डॉक्युमेन्टेशन में अक्षम होने के कारण

उनकी अहमियत घट रही थी। इसने कुछ मामलों में तनाव पैदा किया। लेकिन मास्टर ट्रेनरों ने हालात को बखूबी सँभाल लिया और यह समझाया कि जहाँ दूसरे बैच के पास शैक्षिक योग्यता और डॉक्युमेन्टेशन की ज़िम्मेदारियाँ थीं वहीं पहले बैच के पास अधिक अनुभव और काम का ज्ञान था। प्रशिक्षण और सामाजिक गतिविधि में दोनों को जोड़ी में काम देने की वजह यह थी कि उनकी इन अलग–अलग खूबियों का लाभ उठाया जा सके।

इसके साथ–साथ, परियोजना टीम और समता सखियों के साथ एफ़.जी.डी. के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ मामलों में संकुल और ग्राम संगठन पदाधिकारी सामाजिक गतिविधि और दूसरे कामों में भाग नहीं लेना चाहते थे क्योंकि समता सखियों को मानदेय दिया जाता था और उन्हें नहीं। एक समता सखी ने बताया कि एक संकुल पदाधिकारी ने ब्लॉक नोडल ऑफ़िसर को उनके बारे में हमेशा ही नकारात्मक रिपोर्ट दी, क्योंकि वह पदाधिकारी चाहती थी कि उनको हटा कर अपनी बहू को वह काम दिला दे। संकुल पदाधिकारी और समता सखियों के बीच तनाव के ऐसे मामले इतने कम थे कि उनका जी.जे.पी. या समता सखियों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर ऐसे और मामले होते तब यह एक गंभीर समस्या हो सकती थी। इस समस्या का पहले से अंदाज़ा लगा कर इसका हल निकालने का जी.जे.पी. का तरीक़ा यह था कि इसने समता सखियों को चुनने का काम पदाधिकारी के नेतृत्व में संकुल सदस्यों को सौंपा था। ऐसे किसी तनाव की स्थिति में मास्टर ट्रेनर समेत परियोजना दल के लिए यह ज़रूरी होता कि वे समता सखियों और संकुल पदाधिकारी के बीच इन मुद्दों पर चर्चा करके इसे सुलझाएँ। मौजूदा परियोजना में ऐसे मामलों के दुर्लभ होने के चलते ऐसा नहीं हुआ। उन कुछेक मामलों में जहाँ समता सखियों और संकुल पदाधिकारी के बीच संबंधों में खटास आई इसने एकजुटता के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया।

एक दूसरी चुनौती लंबी दूरियों और परिवहन से जुड़ी हुई थी। कराहल ब्लॉक में ऐसे दूरदराज़ के गाँव हैं जिनमें परिवहन की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। इसने कई समता सखियों के लिए समस्या खड़ी की। इस समस्या से निबटने के लिए 12 और समता सखियों की नियुक्ति की गई ताकि वे जोड़ियों में काम कर सकें और किसी को भी दूर के गाँवों में अकेले नहीं जाना पड़े।

आख़िर में समता सखियों को प्रशिक्षण के दौरान कम ध्यान देने वाले प्रतिभागियों और समूह/ग्राम संगठन बैठकों में अनियमित हाज़िरी से भी जूझना पड़ा। उन्होंने इन मुद्दों को सुलझाने के लिए अनेक पद्धतियाँ निकालीं। वे बैठक से एक दिन पहले दौरा करके महिलाओं को सूचित करतीं और उन्हें आने के लिए प्रेरित करतीं। बैठक के दिन भी वे घर–घर जाकर महिलाओं को आने के लिए प्रेरित करतीं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सक्रियता से जोड़े रखने के लिए समता सखियों ने *किसका पलड़ा भारी* जैसे सहभागिता बढ़ाने वाले टूल और *मुन्ना मुन्नी* और *दुख सुख* जैसे टूल्स की मदद ली जिनसे महिलाएँ जुड़ाव महसूस कर सकीं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को भी साझा किया। वे उसी समुदाय से आती थीं या उनकी पृष्ठभूमि भी समान थी, इसलिए प्रतिभागी उनके साथ एक जुड़ाव महसूस कर पाईं। समय के साथ समता सखियों ने विभिन्न क़िस्मों की सामाजिक गतिविधियाँ संपन्न कीं जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ी। महिलाओं ने यह महसूस किया कि इन प्रशिक्षणों और बैठकों के और भी फ़ायदे हैं और इनमें सिर्फ़ योजनाओं की सूचनाएँ ही नहीं मिलतीं, और इस तरह उन्होंने इसमें अधिक रुचि दिखाई।

1.4.3.6 नोडल अधिकारियों और प्रेरकों के साथ चुनौतियाँ

समता सखियों को ख़ास कर ग्राम संगठन बैठकों के दौरान प्रेरकों के साथ नज़दीकी से काम करना पड़ता था। ब्लॉक नोडल अधिकारी प्रेरकों और समता सखियों को ग्राम संगठन बैठकों में साथ जाने को कहते ताकि प्रेरक अपने लेखा–जोखा की भूमिका (लेन–देन संबंधी) को पूरा कर सकें वहीं समता सखियाँ जेंडर और सामाजिक मुद्दों पर प्रशिक्षण और चर्चा कर सकें। अनेक मामलों में, उन्होंने मिल कर अच्छे से काम किया। लेकिन कुछ मामलों में उनके बीच संवाद में कमी देखी गई, क्योंकि प्रेरक समता सखियों को दौरों के बारे में समय पर सूचित नहीं करते थे। इसका मतलब यह होता कि वे तालमेल बिठा कर एक साथ गाँव का अपना दौरा नहीं कर पाते। कुछ समता सखियों ने यह सूचना भी दी कि कुछेक प्रेरक अपने काम में ढीले थे और उन्होंने ग़लत सूचनाएँ दीं कि उन्होंने गाँव का दौरा कर लिया था। यह संभव है कि प्रेरकों के पास कई तरह के काम थे और उन पर कई ज़िम्मेदारियाँ थीं जिसके चलते वे अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे। समता सखियों ने इन मुद्दों को ब्लॉक नोडल अधिकारी और संकुल पदाधिकारी के सामने उठाया।

इसको सुलझाने के लिए, नोडल अधिकारी, प्रेरकों और समता सखियों के बीच में महीने में एक बार बैठक तय की गई ताकि उनके बीच की किसी समस्या का समाधान किया जा सके और अगले महीने की गतिविधियों की योजना बनाई जा सके। इस पर ग़ौर करना ज़रूरी है कि ज़्यादातर प्रेरक पुरुष थे और उनके पास सामुदायिक महिलाओं की तुलना में बेहतर शिक्षा और सूचना थी, जिसके नतीजे में वे अधिक प्रभावशाली स्थिति में थे। जी.जे.पी. में समता सखियों की शुरुआत करने से उनका यह प्रभाव कम हो गया। अब समता सखियाँ और साथ में संकुल पदाधिकारी प्रेरकों को उनके कामों के लिए जवाबदेह बना रहे थे। एक मामले में एक प्रेरक का वेतन काट लिया गया क्योंकि उसने ग़लत रिपोर्ट दी थी कि उसने एक गाँव का दौरा किया था, जबकि उसने दौरा नहीं किया था। समता सखियों के पास ढेर सारी सूचना और ज्ञान था, भले ही वे शिक्षित नहीं थीं, और वे सामाजिक गतिविधि करने में सक्षम और प्रतिबद्ध थीं। इसने प्रेरकों के प्राधिकार पर सवाल खड़े किए।

कुछ मामलों में जब समता सखियाँ एक असहयोगी पंचायत सचिव के ख़िलाफ़ एक शिकायत लिखना चाहती थीं, तब प्रेरक ने शिकायत या आवेदन लिखने से मना कर दिया, क्योंकि इससे पंचायत के साथ उसके संबंध को नुकसान पहुँचता। ऐसे मामलों में समता सखियों ने खुद ऐसे आवेदन लिखे या किसी और से यह करवाया। ऐसे मुद्दों पर मासिक बैठकों में भी चर्चा की जाती। ऐसा एक मामला भी था जहाँ एक प्रेरक ने एक समता सखी के साथ यौन दुर्व्यवहार किया जब उसने समता सखी के फ़ोन पर अनुचित संदेश भेजे। समता सखी ने इस मुद्दे को संकुल बैठक में उठाया और संकुल पदाधिकारी ने क़सूरवार को कड़ी चेतावनी जारी की। ऐसी मासिक बैठकों के ज़रिए और समता सखियों द्वारा आयोजित जेंडर प्रशिक्षण देख कर, समय के साथ, प्रेरकों और समता सखियों के बीच की समस्याएँ हल हो गईं। एक एफ़.जी.डी. के दौरान परियोजना की टीम ने सूचित किया कि भले ही प्रेरकों के लिए सीधे–सीधे कोई जेंडर प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था, वे समता सखियों द्वारा संचालित ज़्यादातर प्रशिक्षणों में मौजूद थे और इस तरह उन्होंने जेंडर नज़रिया हासिल किया और उनकी भूमिका की अहमियत को समझा।

कुल मिला कर एम.पी.एस.आर.एल.एम. ब्लॉक टीमें समता सखियों से साथ सहयोग पूर्ण रहीं। लेकिन कभी–कभार ऐसा हुआ कि एकाध ब्लॉक नोडल अधिकारी बहुत सहयोगपूर्ण नहीं थे और उन्होंने समता सखियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को नहीं सुना। इसको हल करने के लिए, मास्टर ट्रेनर समेत आनंदी परियोजना टीम ने ज़िला और ब्लॉक टीमों के साथ लगातार संवाद किया, कार्यक्रम के बारे में उन्हें सूचित किया और उनकी सलाह माँगी। कुछ समता सखियों ने काम का अधिक भार भी महसूस किया क्योंकि ब्लॉक नोडल अधिकारी उन्हें ढेर सारे काम करने को कहते जैसे कि सर्वेक्षण सूची बनाना, सरकारी योजनाओं जैसे स्ट्रीट वेंडरों संबंधी योजना के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान करना, समूह बनाना और निष्क्रिय पड़े समूह को सक्रिय बनाना। आनंदी की टीम ने समता सखियों को समझाया कि क्योंकि वह संकुल की सदस्य और संकुल से जुड़ी सी.आर.पी. हैं, इसलिए यह काम करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। टीम ने यह भी दिखाया कि कैसे समता सखियों द्वारा किए गए सभी कामों में एक जेंडर नज़रिए को शामिल किया जा सकता है। जैसे कि नए समूह बनाते समय या निष्क्रिय पड़े समूहों को सक्रिय बनाते हुए समता सखियाँ *दुख सुख* जैसे जेंडर प्रशिक्षण टूल्स को शामिल कर सकती हैं और महिलाओं को इन समूहों का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ऐसा करके महिलाएँ न सिर्फ़ वित्तीय लाभों की हक़दार बनेंगी बल्कि वे अपने अधिकारों को भी हासिल कर सकती हैं। जी.जे.पी. के बारे में एक बेहतर समझदारी बनाने के लिए, कुछ ब्लॉक नोडल अधिकारियों को भी गुजरात दौरे में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसने कुछ समय के लिए इन तनावों को हल्का किया लेकिन वे स्थायी तौर पर दूर नहीं हो पाए।

अप्रैल 2021 में परियोजना के स्थगित होने के बाद दुर्भाग्य से अधिकतर नोडल अधिकारियों ने समता सखियों की मदद करने के लिए बहुत पहल नहीं की। परियोजना के स्थगित होने और नए चरण के शुरू होने के बीच पाँच महीनों का अंतराल था। इस अवधि में यह उम्मीद की गई थी कि संकुल नोडल अधिकारियों के सहयोग से संकुल अपने कोष से समता सखियों को मानदेय का भुगतान करेंगे। दुर्भाग्य से सागर संकुल को छोड़ कर ऐसा कहीं और संभव नहीं हुआ। जहाँ परियोजना की टीम और दूसरे प्रतिभागियों ने यह सूचित किया कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि संकुल के पास कोष का अभाव हो, वहीं यह भी उतना ही सच हो सकता है कि कई ब्लॉक नोडल अधिकारियों ने समता सखियों का समर्थन करने में बहुत रुचि नहीं दिखाई। एक समता सखी ने सूचित किया कि जब उन्होंने एक संकुल मीटिंग में यह मुद्दा उठाया तो ब्लॉक नोडल अधिकारी ने कहा, "आनंदी अब ख़त्म हो गया, तो पैसा कहाँ से आएगा?" इसने एक सचमुच की चुनौती खड़ी की क्योंकि ज़्यादातर समता सखियों ने

मानदेय के किसी वादे के बिना अपनी पहल पर अपना काम जारी रखा था। लेकिन राज्य के स्तर पर एम.पी.एस. आर.एल.एम. ने समता सखियों के कैडर को जारी रखने और उनका समर्थन करने की मंशा जारी की है। यह बात इससे ज़ाहिर होती है कि संकुल द्वारा इस ख़र्च का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में वे समता सखियों को वित्तीय सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं।

1.4.3.7
परियोजना के स्थगित होने की अवधि में चुनौतियों पर विचार

अप्रैल 2021 में जब परियोजना स्थगित हुई, तब इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि यह फिर से कब शुरू होगी और तब इसकी शर्तें क्या होंगी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एक संकुल को छोड़ कर किसी भी दूसरे संकुल ने समता सखियों को कोई मानदेय नहीं दिया। यहाँ तक कि नोडल अधिकारी इस अंतराल में समता सखियों के मानदेय को लेकर बहुत मददगार नहीं थे। उनमें से लगभग सभी ने समता सखियों को मानदेय नहीं दिए जाने के लिए पैसे की कमी का ज़िक्र किया। इसके बावजूद ज़्यादातर समता सखियों ने अपने गाँवों में और लोक अधिकार केंद्र में भी अपना काम जारी रखा। जैसा कि एक इंटरव्यू के दौरान अंकिता ने कहा, "भले पैसा न मिले, लेकिन गाँव का सुधार करना है, इसलिए अपन काम करते रहे।" समता सखियों ने अपने गाँवों में हक़ों, टीकाकरण शिविरों और घरेलू हिंसा जैसे व्यापक मुद्दों पर काम किया।

परियोजना सितंबर 2021 में फिर से शुरू हुई और इस बार यह एम.पी.एस.आर.एल.एम. की अपस्केल्ड जेंडर रणनीति के एक अंग के रूप में शुरू हुई जिसे श्योपुर समेत 18 ज़िलों में लागू किया गया। इस विस्तृत रणनीति के तहत, समता सखियों के चयन के मानदंड में शिक्षा का एक निश्चित स्तर शामिल है क्योंकि उनसे अपने काम को डॉक्युमेन्ट करने की उम्मीद की जाती है। दुर्भाग्य से इसके चलते पुराने बैच की कई समता सखियाँ बाहर रह जाएँगी जिन्होंने पिछले दो वर्षों में बेमिसाल काम किया है। अगले सेक्शन में उनकी कुछ कहानियाँ उनके काम और योगदान की गवाही देती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस पर विचार किया जाए कि इन कम शिक्षित लेकिन अत्यंत सक्षम समता सखियों के अनुभवों को कैसे पहचान दिलाई जाए और उनका सदुपयोग किया जाए। परियोजना के स्थगित होने की अवधि के अनुभवों को देखते हुए यह समझना भी ज़रूरी है कि जेंडर रणनीति को किस तरह ब्लॉक नोडल अधिकारियों और संकुल में बेहतर तरीक़े से विकसित किया जा सकता है, ताकि वे परियोजनाओं के बाद, और आनंदी जैसे किसी संगठन के नहीं रहने के बावजूद, इस काम को जारी रखने के इच्छुक बनें।

निष्कर्ष

इस सेक्शन में उन रणनीतियों, नतीजों, चुनौतियों और मुश्किलों को दूर करने के उपायों को रेखांकित किया गया है जो श्योपुर ज़िले के श्योपुर और कराहल ब्लॉकों में जी.जे.पी. के दौरान समता सखियों ने अपनाए। जो बात सामने आती है वह समता सखियों की क्षमता और प्रतिबद्धता है जिससे उन्होंने समुदाय की महिलाओं को उनके अधिकारों और हक़ों तक पहुँचने में मदद की। उन्होंने सामुदायिक संस्थानों के भीतर जेंडर नज़रिए को शामिल किया है और मौजूदा व्यवस्था का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने और महिलाओं के अधिकारों को हासिल करने के लिए किया है। इस काम को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि समता सखियों को सामुदायिक लीडरों के रूप में पहचाना जाए और उन्हें अपने समुदायों और समाजों के लिए काम करते रहने के अवसर मुहैया कराए जाएँ।

2

ज़मीन से उठती आवाज़ें – बदलाव के सफ़रनामे

इस सेक्शन में चार समता सखियों और एक मास्टर ट्रेनर की अपनी सच्ची कहानियाँ पेश की जा रही हैं। उन्हीं के शब्दों में बयान की गई यह कहानियाँ उनके संघर्षों, बदलाव, और लीडरशिप के विकास के सफ़रनामे पेश कर रही हैं। वे यहाँ बता रही हैं कि वे किस तरह की पृष्ठभूमि से आती हैं, आनंदी द्वारा लागू किए गए जी.जे.पी. से जुड़ने की उनकी प्रकिया क्या थी, उन्होंने कैसे काम किए हैं, किस तरह की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है और उनके अपने जीवन, घरों और समुदायों में किस तरह के बदलाव आए हैं। ये कहानियाँ इंटरनेशनल सेंटर फ़ॉर रिसर्च ऑन वुमेन (आई.सी.आर.डब्ल्यू.) द्वारा उनके साथ किए गए इन–डेप्थ इंटरव्यू पर आधारित हैं। कोशिश की गई है कि इंटरव्यू के दौरान शोध में शामिल प्रतिभागियों की अपनी आवाज़ और उनके ख़ास अंदाज़ को जहाँ तक संभव हो बनाए रखा जाए। समता सखियों और मास्टर ट्रेनर के नामों को उनकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बदल दिया गया है।

2.1
किरण, समता सखी

नमस्ते, मेरा नाम किरणबाई है। मैं 33 साल की हूँ और मैं श्योपुर ब्लॉक के एक गाँव से आती हूँ। मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई थी। अब मैं एक विधवा हूँ; मेरे पति आठ साल पहले गुज़र गए और मेरी तीन बेटियाँ और एक बेटा है। मैंने तब लाचार महसूस किया था – मैं गुज़ारे को लेकर, अपने बच्चों को लेकर चिंतित थी; मुझे उनको ढंग से पालने–पोसने की चिंता थी। मैं अपने सास–ससुर, जेठ, जेठानी और उनके बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे जेठ परिवार की ज़मीन पर काम करते हैं और घर के सभी ख़र्चे उठाते हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई और दवा–इलाज के ख़र्चे भी वही उठाते हैं। मैं भी कमाती हूँ और अपने निजी ख़र्चे खुद देखती हूँ। मेरे सास–ससुर मुझसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरी जेठानी के साथ कुछ टेंशन है। मेरे अपने

माता–पिता गुज़र गए हैं। मेरे चार भाई और चार भाभियाँ हैं। वे मुझे बुलाते रहते हैं लेकिन अपने काम के चलते मुझे बहुत कम समय मिल पाता है।

मैं अपने पति के निधन के बाद समूह से जुड़ी। आंध्र प्रदेश से कुछ महिलाएँ आजीविका मिशन के तहत समूह बनाने के लिए मेरे गाँव में आई थीं। मैंने उन्हें यह जगह दिखाई और समूह बनाने के लिए ट्रेनिंग में भाग लिया। मुझे समूह का अध्यक्ष बना दिया गया और दो साल के बाद मैं ग्राम संगठन की सदस्य बन गई। समूह में हम लोग बचत करने, क़र्ज़े लेने और चुकाने पर चर्चा किया करते थे। वहाँ सिर्फ़ पैसे के लेन–देन से जुड़ी बातें ही होती थीं, महिलाएँ अपने निजी मुद्दे और घरेलू समस्याएँ नहीं उठाती थीं। मैं सी.आर.पी. भी बन गई थी और समूह बनाने के लिए दूसरे गाँवों में जाया करती थी। मैंने क्लास ३ तक की पढ़ाई की है। मैं पढ़ सकती हूँ लेकिन लिख नहीं सकती। रेकॉर्ड तैयार करने के लिए मैं कभी–कभी अपनी बेटी की मदद लेती हूँ।

जेंडर के बारे में सबसे पहले मुझे आनंदी की ट्रेनिंग में पता लगा, जब उन्होंने हमें भेदभाव, बाल विवाह, ज़मीन पर महिलाओं के अधिकारों आदि के बारे में बताया। संकुल सदस्यों ने मुझे समता सखी बनाया क्योंकि मेरे घर पर मुझे बाहर जाने से कोई नहीं रोकता है। उन्होंने यह भी सोचा कि मेरी जैसी एकल महिला को इससे आमदनी भी हो जाएगी। जब मैंने समता सखी का काम शुरू किया तब से अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। पहले महिलाएँ अपनी परेशानियों पर बात नहीं करती थीं, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद नहीं करती थीं और मिल कर पंचायत जाने का चलन भी नहीं था। कुछ समूह काम करना बंद कर चुके थे और कुछ ग्राम संगठन भी ढंग से काम नहीं कर रहे थे। जब हमने समूह/संगठन मीटिंगों में जाना शुरू किया, तो स्थिति में सुधार आया और समूहों और ग्राम संगठनों ने सक्रिय होकर काम करना शुरू किया। महिलाओं ने भी जाना कि इन मीटिंगों में आने का फ़ायदा है, क्योंकि उन्हें तरह–तरह के मुद्दों और योजनाओं के बारे में हमसे जानकारी मिल जाती थी। अब हमें उनको बुलाने के लिए घर–घर नहीं जाना पड़ता है। वे अपने आप आती हैं और हम सिलाई, बाग़बानी जैसे अलग–अलग तरह के काम भी करते हैं।

समूह/ग्राम संगठन मीटिंगों में, सबसे पहले हम उन समस्याओं पर बात करते हैं जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है। हम उन्हें सरकारी योजनाओं और लाभों के बारे में भी बताती हैं। हम उन्हें विधवा पेंशन लेने, राशन कार्ड और रोज़गार कार्ड बनवाने में मदद करती हैं। उन्हें जिस भी चीज़ में मदद चाहिए होती है हम उनकी मदद करती हैं। पिछले साल ग्राम संगठन में *मेरा हक़, मेरी पहचान* टूल पर ट्रेनिंग के समय तीन महिलाओं ने कहा कि उन्हें उनकी विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। हमने उनसे अपने सारे काग़ज़ जैसे आधार कार्ड और बैंक पासबुक लाने को कहा और फिर हम सब पंचायत गईं। मैंने 10–12 महिलाओं को एक साथ बुलाया, उसमें ग्राम संगठन की अध्यक्ष, ग्राम संगठन एस.ए.सी. सदस्य और दूसरी सदस्य भी थीं। हम सभी मिल कर पंचायत ऑफिस गईं। पहले यह सरपंच महिलाओं की बातें नहीं सुनता था, उनके काम भी नहीं करता था। लेकिन जब ग्राम संगठन की सभी महिलाएँ गईं और मिल कर उस पर दबाव डाला तो वह हमारे मुद्दों को देखने पर मजबूर हुआ। हमने सेक्रेटरी को काग़ज़ दिए और बाद में भी उससे पूछते रहे कि पेंशन शुरू हुई है कि नहीं। जल्दी ही महिलाओं को उनकी पेंशन मिलने लगी। एक बार मैंने महिलाओं को कुपोषण से जंग की बाक़ी पेमेंट के लिए लोक अधिकार केंद्र में आवेदन करने में मदद की, मैं उन्हें सीधे सी.ई.ओ के पास लेकर गई।

मैंने महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के मामलों पर भी काम किया है। मैंने एक महिला को पुलिस में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखवाने में मदद की। अब वह महिला अलग रहती है और अपने पति से उसे गुज़ारा ख़र्च मिलता है। जब कोई मुद्दा हमसे अकेले नहीं सुलझता तब हम महिलाएँ मिल कर दबाव बनाती हैं। मेरे गाँव में एक दूसरा मामला था जहाँ एक विधवा के सास–ससुर उसके साथ बहुत बुरा बरताव करते थे। वो उससे बात नहीं करते थे, गाली–गलौज करते थे, पीटते थे और उसे ज़मीन में हिस्सा देने से भी मना कर दिया था। वह अपने भाई के यहाँ अपने मायके चली गई। हमने उसे वापस लौटने को कहा और भरोसा दिलाया कि हम सब मिल कर उसके साथ खड़ी होंगी। हमने उसे पुलिस में शिकायत लिखवाने की सलाह दी। जब वह गाँव लौट आई तब दूसरी समूह सदस्यों, एस.ए.सी. सदस्यों, संगठन अध्यक्ष और गाँव की कुछ दूसरी महिलाओं के साथ मैं उसके ससुराल वालों से मिली। वहाँ इतनी सारी महिलाएँ थीं इसलिए उसके सास–ससुर हमारे साथ बदतमीज़ी नहीं कर पाए। उस महिला ने अपने ससुराल वालों से कहा कि वह पुलिस में उनकी रिपोर्ट कर देगी। तब ससुराल वाले उसे चार बीघा ज़मीन देने पर मान गए। अभी यह उसके ससुर के नाम पर है लेकिन उनके निधन के बाद यह ज़मीन उसकी हो जाएगी। हमने उस महिला को समूह से भी जोड़ा और अब अगर कोई दिक़्क़त होती है तो सभी समूह सदस्य उसकी मदद करती हैं।

कभी–कभी मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पंचायत सचिव जब हमारी नहीं सुनते हैं। तब हम संगठन की सभी महिलाएँ साथ मिल कर सामूहिक दबाव बनाती हैं। अगर यह काम नहीं करता है तब मैं जनपद में सीनियर अफ़सरों को फ़ोन करने की चेतावनी देती हूँ। आम तौर पर इससे काम हो जाता है। अगर अपने काम में मुझे कोई समस्या होती है, तब मैं उन्हें दूसरी समता सखियों और मास्टर ट्रेनरों को बताती हूँ और वे मदद करती हैं। हम सभी एक दूसरे से सीखती हैं। अगर कभी किसी प्रेरक के साथ कोई दिक़्क़त आती है, तो उस समस्या को मैं नोडल अधिकारी के साथ हमारी मासिक मीटिंग में बताती हूँ जहाँ समता सखियाँ और प्रेरक बैठे होते हैं। कभी–कभी कोई प्रेरक हमें किसी मीटिंग के बारे में नहीं बताते या किसी मीटिंग में आते ही नहीं हैं। ऐसी हालत में, हम मासिक संकुल मीटिंग में मुद्दे पर चर्चा करके उसे सुलझाते हैं।

अब हर कोई मेरे काम के महत्व को समझता है। हाल में, पंचायत सचिव ने मुझसे उन लोगों की एक सूची बनाने को कहा जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं। तो मैंने एक सर्वेक्षण किया और दस पुरुषों और दस महिलाओं के नाम दिए। पंचायत सचिव ने मेरे निर्णय पर भरोसा किया। इसके साथ–साथ, मेरे परिवार के सदस्यों का रवैया भी बहुत बदला है। शुरू में जब मैंने सी.आर.पी का काम शुरू किया था, मेरे परिवार के सदस्य पूछते रहते थे कि मैं दिन–दिन भर कहाँ रहती हूँ। गाँव वाले भी ताना कसते थे और कहते थे, "भगवान जाने यह मैडम रोज़–रोज़ कहाँ जाती हैं।" मुझे यह सब झेलना पड़ा था। लेकिन समता सखी के रूप में गाँव में मैंने सब जो काम किए उसके बाद उन्होंने मेरा सम्मान करना शुरू किया।

मेरा अपना बदलाव तब शुरू हुआ जब मैं समूह से जुड़ी। मैं बहुत जल्दी टूट जाती थी, क्योंकि मेरे पति अभी–अभी गुज़रे थे। फिर जब मैंने बाहर जाना, समूह की महिलाओं को संगठित करना, उनके साथ काम करना और उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू किया, मेरा अपना दुख और दर्द कम हो गया। समता सखी बनने के बाद और भी मज़बूती मिली। अब मैं महिलाओं के साथ बहुत क़रीब रह कर काम करती हूँ और अक्सर ही अलग–अलग क़िस्म के सामाजिक मुद्दों पर काम करती हूँ। मेरी पहचान, मेरी जानकारी और आमदनी के कारण अब घर के महत्वपूर्ण मामलों में मुझसे सलाह ली जाती है। मैंने अपने जेठ को मनाया कि वो अपनी बेटी को आगे पढ़ने दें और उसे कॉलेज की परीक्षा देने दें। मैंने उसका नाम सिलाई क्लास में भी लिखा दिया और अब वह घर पर कपड़े सिलती है। जब वह अपने पिता से एक मोबाइल फ़ोन लेना चाहती थी तब मैंने उसका साथ दिया था। उसकी शादी को लेकर भी उन्होंने मुझसे सलाह ली। मैंने उन्हें बताया कि मेरा सोचना है कि लड़कियों की शादी तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक वे कम से कम 20–21 साल की न हो जाएँ। अब घर का काम भी हम सब मिल–बाँट कर करते हैं।

फोटो क्रेडिट : अरूण शम्भू मिश्रा / शटरस्टॉक

पहले इतना अनुभव नहीं था, इतना बोलना भी नहीं जानती थी। आनंदी की ट्रेनिंग में जानकारी मिली और काम करने से बोलने की हिम्मत आई। इस साल बाढ़ के समय, मैंने गाँव में हुए नुक़सान के बारे में पंचायत को सूचित किया और अपनी पहल पर एक सर्वेक्षण किया। मेरी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सचिव और पटवारी मेरे गाँव में आए और उन्होंने उन घरों का फ़ोटो लिया जिनको नुक़सान हुआ था। पहले मैं इसके क़ाबिल नहीं थी कि ऐसी कोई पहल कर सकूँ और सीधे सरकारी अधिकारियों से बातें कर सकूँ। समता सखी के रूप में मेरे काम ने ही मुझे इस काबिल बनाया है। जब अप्रैल के बाद कुछ समय के लिएं आनंदी का काम रुक गया तो दूसरे गाँवों की कई महिलाएँ मुझे फ़ोन करती थीं और पूछती थीं, "अब तुम क्यों नहीं आती हो? अभी भी कितने मामले अधूरे हैं, उन्हें कौन पूरा करेगा? हमें तुम्हारी ज़रूरत है।" हमारे काम की यह अहमियत और मूल्य है।

2.2
प्रिया, समता सखी

नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और मैं एक समता सखी हूँ। मैं 28 साल की हूँ। मैं चंद्रपुर में पैदा हुई थी और मेरे तीन भाई और दो बहनें हैं। मेरा मायका बहुत ग़रीब है और मैं दसवीं क्लास की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। मैं बहुत छोटी ही थी जब मेरी शादी कर दी गई और जल्दी ही मुझे एक बेटी हो गई। मेरी बेटी अब ग्यारह साल की है और मेरा एक बेटा है जो आठ साल का है – दोनों स्कूल जाते हैं। मैं अपने पति, बच्चों, सास–ससुर, जेठ, उनकी पत्नी और उनके दो बच्चों के साथ श्योपुर ब्लॉक में रहती हूँ। हमारे घर में दस बीघा ज़मीन है और यह मेरे ससुर के नाम है। घर में सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड है।

मेरी शादी हुए 12 साल हो रहे हैं और शुरू में मैं सिर्फ़ घर का काम करती थी। फिर आंध्र प्रदेश से एक दीदी आईं। उन्होंने हम सबको जमा किया और हमें समूहों के लाभ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे हम क़र्ज़े लेकर कमाई कर सकते हैं। कुछ समय के बाद, मुझे समूह की सचिव बनाया गया क्योंकि मैं पढ़ी–लिखी थी। पहले–पहले मैंने समूह से 2,000 रुपयों का क़र्ज़ लिया और सब्ज़ी की एक दुकान खोली। जब मेरे ग्राहक बढ़े तो मैंने पैसे चुका दिए और 5,000 रुपयों का एक दूसरा क़र्ज़ा लेकर किराने की एक छोटी–सी दुकान खोली। इसके बाद मैंने एक साथ 15,000 रुपए लिए और बिज़नेस बढ़ाया। कभी–कभी मेरे पति दुकान सँभालते हैं और खेत में भी काम करते हैं।

मेरे सास–ससुर मुझसे अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन मुझे घर से बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी; मेरी ननद को भी बाज़ार जाने की इजाज़त नहीं थी। शुरू में मेरे पति हर जगह मेरे साथ जाते थे और मैंने उन्हें बताया कि, बाहर निकलेगी तभी तो महिला आगे बढ़ेगी। वे समझ गए और मैं श्योपुर, कराहल और भोपाल ट्रेनिंग के लिए जाने लगी। मैं 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग के लिए आंध्र प्रदेश भी गई। मेरी बेटी मेरे साथ गई थी क्योंकि वह सिर्फ़ दो साल की थी। मेरे पति ने मेरा समर्थन किया और मुझे आश्वासन दिया कि वह घर पर हर चीज़ सँभाल लेंगे।

आजीविका मिशन से जुड़े हुए मुझे नौ साल हो गए और धीरे–धीरे मुझे कई चीज़ों की जानकारी हो गई। मैं हिसाब–किताब रखती थी और समूह के रजिस्टरों और क़र्ज़ों और भुगतानों के रेकॉर्ड रखने का काम देखती थी। मैं एक सी.आर.पी. भी थी और मुझे समूह बनाने और निष्क्रिय समूहों को फिर से खड़ा करने के बारे में भोपाल में ट्रेनिंग मिली थी। क़रीब सात साल पहले, मैंने आजीविका मिशन से एक ट्रेनिंग भी ली थी जहाँ बाल विवाह और लड़के–लड़कियों में भेदभाव जैसे जेंडर के मुद्दों पर चर्चा की गई थी। लेकिन समता सखी बनने के बाद आनंदी ने हमें जेंडर पर विस्तार से ट्रेनिंग दी।

क़रीब दो साल पहले, आनंदी दूसरे बैच के लिए समता सखियों की तलाश कर रही थी। हमारे नोडल सर ने कहा, "यह मीटिंगों में बहुत रेगुलर है, समझदार है, और इसमें समता सखी के पद को सँभालने के लिए उपयुक्त क्षमताएँ हैं, क्योंकि उसने सभी ट्रेनिंगों में भाग लिया है। यह शिक्षित भी है और दूसरे गाँवों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आ–जा सकती है।" इस तरह मैं समता सखी के लिए चुनी गई। मैं पुराने बैच की दो समता सखियों को भी जानती थी क्योंकि हमने सी.आर.पी. अभियान पर साथ मिल कर काम किया था। आनंदी की ट्रेनिंग के दौरान, हमने *किसका पलड़ा भारी* नाम के टूल के बारे में सीखा था। इसमें हमने सीखा कि महिलाएँ इतना काम करती हैं तब भी उनकी गिनती नहीं है, पुरुष एक–दो काम करते हैं, फिर 'दादागीरी' दिखाते हैं। हमने *मेरा हक़ मेरी पहचान* के बारे में भी जाना, कि कैसे महिलाओं को अपने अधिकारों और हक़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और लड़ना चाहिए।

हरेक समता सखी को नौ गाँव मिले जिनकी उन्हें देखभाल करनी होती है। मैं समूह मीटिंगों, संगठन मीटिंगों में जाती थी, और महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी। मैंने उन्हें राशन कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, और विधवा पेंशन के बारे में जानकारी भी दी। अगर एक महिला की समस्या पंचायत स्तर पर नहीं सुलझती तो मैं उन्हें लोक अधिकार केंद्र तक ले जाती। एक बार मैं कुछ नई दुल्हनों को लोक अधिकार केंद्र तक लेकर गई ताकि उनके नाम बी.पी.एल. कार्ड में शामिल किए जा सकें और आवेदन लिखने में उनकी मदद की।

समता सखी के रूप में हमें कई तरह के मुद्दों और समस्याओं से निबटना पड़ता है। एक गाँव में घरेलू हिंसा का एक मामला था। प्रेरणा का पति एक सरपंच है और वह उसे नियमित रूप से पीटता था। उसका एक दूसरी महिला के साथ भी संबंध था और उसने पूरे सात बीघा ज़मीन बिना किसी को बताए बेच दी थी। उसने प्रेरणा से यह भी कहा कि वह अपने चार बच्चों को छोड़ दे और अपने मायके चली जाए। प्रेरणा ने कहा कि वह अलग रहना चाहती है और उसके पति को उसे 'हर्जाना' देना चाहिए, जो उसका हक़ है, "आप मुझे मेरा हक़ दो।" जब सरपंच ने यह बात नहीं मानी, तो मैं प्रेरणा को लेकर लोक अधिकार केंद्र गई और उसका मामला वहाँ दर्ज कराया। अब एक वकील का इंतज़ाम हो गया है और सरपंच ने उसकी अलग रहने की बात मान ली है। जब मैंने आख़िरी बार पता किया था, तब यह मामला अभी चल रहा था। मैंने कोविड–19 के दौरान भी काफ़ी काम किया। मैंने अपने गाँव में सर्वेक्षण किया, टीके के फ़ायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाई और फ़ोन पर दूसरे गाँव की महिलाओं को भी सूचना दी।

समय के साथ मेरे और मेरे काम के प्रति गाँववालों का रवैया भी बदला। शुरू–शुरू में कुछ समस्याएँ थीं। अधिकतर समय मेरे गाँव का सरपंच मेरी बातें नहीं सुनता था। एक बार ब्लॉक जेंडर फ़ोरम की मीटिंग में सरपंच, कलक्टर, मास्टर ट्रेनर और नोडल अफ़सर के सामने ही मैंने असहयोगी पंचायत सदस्यों का मामला उठाया। उसके बाद सरपंच के व्यवहार में और महिलाओं की समस्याओं के प्रति उसके रवैए में साफ़ बदलाव आया। सभी संकुल पदाधिकारियों और प्रेरकों के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है। अब पुरुष और महिलाएँ दोनों ही मेरा सम्मान करते हैं और अक्सर मुझसे मेरी राय माँगते हैं। सभी विभागीय कर्मचारी मेरी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं, "हमारी गाँव की महिला कैसे सीख के, अपने और सबके हक़, अधिकार के लिए लड़ रही हैं। खुद को, अपने गाँव को और समाज को आगे बढ़ा रही हैं।"

समता सखी बनने के बाद मैं अधिक सजग और आत्मविश्वासी हो गई। जब भी ज़रूरत पड़ती है, मैं गाँववालों की मदद करती हूँ। पहले मैं अपने परिवार के पुरुषों और गाँववालों से बातें करने में झिझकती थी। अब मैं किसी के सामने भी बोल सकती हूँ, यहाँ तक कि कलक्टर और गाँव के बड़े लोगों के सामने भी। मैं अब अपने फ़ैसले खुद लेती हूँ; कहाँ जाना है, क्या काम करना है, कब लौटना है। मेरा परिवार शुरू–शुरू में नाखुश था और मेरे काम को लेकर ताने कसता रहता था। मैं अपने पति को कुछ मीटिंगों में लेकर गई ताकि वे मेरे काम की अहमियत को समझ सकें। मैंने धीरे–धीरे उनका भरोसा और सम्मान जीता और उन्होंने मुझसे सलाहें माँगनी शुरू कीं। अब मेरे पति मुझसे पूछते हैं कि कौन–सा बीज बोना है, कौन–सी सब्ज़ी लगानी है। हम दुकान से होने वाली आमदनी, अपनी बचत और ख़र्चों पर भी चर्चा करते हैं। मेरे परिवार में पुरुष और महिलाएँ दोनों मिल–बाँट कर काम करती हैं। मेरी जेठानी को छोड़ कर मेरे घर में सभी के पास राशन कार्ड था। मैंने उनका जाति पहचान पत्र पंचायत से लिया और राशन कार्ड बनवाने में उनकी मदद की। मैंने अपनी ननद को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने का समर्थन किया, जबकि मेरे सास–ससुर इसका विरोध कर रहे थे। और तो और, मैंने उसकी ट्रेनिंग के लिए समूह से क़र्ज़ भी लिया।

समता सखी के रूप में मेरे काम और मेरे अनुभव ने खुद मुझे भी बदला है। पहले मैं अपनी बेटी की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब मैं अपने बेटे और बेटी को सभी मामलों में बराबर समझती हूँ। मैं जब काम के लिए बाहर जाती हूँ तो सलवार–सूट पहनती हूँ। ऐसा मैंने गुजरात में देखा था और आंध्र प्रदेश से आने वाली मैडम ने भी यही पहना था। अब मैं सूट और साड़ी दोनों पहनती हूँ, हालाँकि मेरे परिवारवाले शुरू–शुरू में इस पर खुश नहीं थे। अब वे समझते हैं और मेरे फ़ैसलों और मेरे काम का सम्मान करते हैं। अब तो, अपने गाँव में, मैं फ़ेमस हूँ। जिस समय आनंदी का काम रुक गया था, तब भी मैंने समता सखी के रूप में काम करना जारी रखा। मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मुझे पैसों का लालच नहीं है। पैसे लेने से क्या काम है? अपन को तो काम करना है और अपन के गाँव की समस्या हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा?

2.3
सुषमा, समता सखी

नमस्ते, मेरा नाम सुषमा है और मैं 33 साल की हूँ। मैं कराहल ब्लॉक के एक गाँव से आती हूँ। मैं अपने संकुल की ट्रेज़रर हूँ और एक समता सखी भी हूँ। समता सखी के रूप में मेरे सफ़र ने मुझमें और मेरे काम में ढेर सारा बदलाव किया है। मैं यहाँ अपने सफ़र की कुछ झलकियाँ आपको बताना चाहूँगी।

मैं एक ग़रीब घर में पैदा हुई थी और इसके कारण मुझे स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ी। मुझे अपने परिवार को सँभालने के लिए अपने बड़े भाई के साथ काम करना पड़ा। तब हम श्योपुर में नहीं रहते थे, किसी और जगह में थे। मेरे ससुराल का परिवार बहुत बड़ा था; मेरे पति, उनके माता–पिता और छह भाई–बहन। मेरी शादी के बाद मैंने परिवार को सँभालने के लिए अपने पति के भाई के साथ मिल कर काम किया। मेरे पति तब पढ़ रहे थे और कुछ वर्षों के बाद उन्हें श्योपुर ज़िले में स्कूल टीचर की नौकरी मिल गई। इसी समय मेरे ससुराल का परिवार श्योपुर चला आया, यहाँ ज़मीन ख़रीदी और बस गए।

2008 में मैं समूह से जुड़ी। मैं समूह की सचिव बन गई और उसके बाद ग्राम संगठन में शामिल हुई। समूह से जुड़ने के पहले मैं सोचा करती थी कि मैं दूसरों से कैसे बातें करूँगी और मुझे डर लगता रहता था कि मैं कहीं कुछ ग़लत न कह दूँ। लेकिन समूह में हम दस महिलाओं ने धीरे–धीरे बचत के बारे में और आमदनी बढ़ाने के बारे में बातें शुरू कीं और मुझे यह महसूस हुआ कि समूह का हिस्सा बनने का असल में एक फ़ायदा है। तभी पंचायत चुनाव आए और समूह और संगठन की महिलाओं ने कहा कि हमें किसी ऐसे सरपंच की ज़रूरत है जो दूसरों के सामने हमारे मुद्दों पर बोल सके और हमारी चिंताओं को उठा सके। जब उन्होंने मुझे इसके लिए खड़े होने को कहा तो मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मुझे डर लगता था। लेकिन उन्होंने तो ठान रखा था और वे मुझे लेकर गईं और फ़ॉर्म भरवा दिया। मैं उनसे कहती रही कि मैं यह ज़िम्मेदारी नहीं उठा पाऊँगी। लेकिन महिलाओं ने कहा, "तुम हमारी सुनती हो, तुम चीज़ों को सुधारने की कोशिश करती हो... अगर अपने लिए नहीं तो हमारे लिए मान जाओ।" पुरुषों ने मेरा समर्थन नहीं किया और कहते रहे, "वह तो बस बैठी रहती है और कुछ करती भी नहीं, वह क्या गाँव का काम कर पाएगी?" लेकिन महिलाओं ने पूरे दिल से मेरा समर्थन किया। जब मैंने नामांकन दाख़िल किया था तो मेरी सास भी हिचक रही थी। वह चाहती थी कि मैं घर के काम पर ध्यान दूँ। लेकिन मेरे ससुर, जो पहले सरपंच रह चुके थे, मेरे साथ खड़े हुए। और 2015 में मैं एक सरपंच बनी।

2019 में आनंदी की टीम हमारे संकुल की मीटिंग में आई और जेंडर जस्टिस प्रोग्राम के बारे में बताया। शुरू–शुरू में मेरी इसमें बहुत रुचि नहीं थी, क्योंकि ऐसे कई संगठन आते–जाते रहते हैं। फिर श्योपुर में एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे नोडल अफ़सर ने मेरा नाम समता सखी के रूप में दे दिया और कहा कि मैं गाँवों में महिलाओं की ट्रेनिंग करने में सक्षम हूँ। मैंने आनंदी की पाँच दिनों की ट्रेनिंग ली जहाँ हमने समता सखियों के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में सीखा, हमने *मुन्ना मुन्नी* नाटकों के ज़रिए लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव के बारे में जाना, यह जाना कि कैसे अकेले महिलाओं पर घर के सारे काम का बोझ नहीं डाल देना चाहिए। मैंने बाल विवाह के बारे में भी जाना। मैंने महिलाओं के अधिकारों और हक़ों के बारे में बहुत कुछ जाना।

मैंने आनंदी की ट्रेनिंग के बाद अलग–अलग गाँवों में काम करना शुरू किया और संकुल में हमारी नियमित मासिक मीटिंग में अपने काम के बारे में बताने लगी। मैंने जेंडर टूल का उपयोग करते हुए महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी और हमने सबसे पहले जो काम किया वह था कि महिलाओं के नाम ज़मीन के काग़ज़ों में शामिल करवाए। अब मेरे गाँव में 35 महिलाओं के नाम से या उनके पति के साथ साझे में ज़मीन है। मैंने लोगों को पेंशनों और विकलांगता प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी भी दी और उन्हें इन लाभों को प्राप्त करने में मदद की।

फिर कोविड–19 आ गया और इसको लेकर बहुत जानकारी नहीं थी। मैंने इसकी रोकथाम के क़दमों पर जागरूकता फैलाना शुरू किया। मेरे गाँव में हमने आपसी सुरक्षित दूरी बरतते हुए महिलाओं की मीटिंग की और फ़ोन पर दूसरे गाँवों की महिलाओं से संपर्क बनाए रखा। हर कोई डरा हुआ था और मैंने महिलाओं को जुटा कर 500 मास्क बनाए और गाँवों में उन्हें बाँटा। मैंने गाँव वापस लौटने वाले प्रवासी मज़दूरों के लिए 14 दिनों के क्वारंटीन की व्यवस्था करने का काम भी किया और यह पक्का किया कि कोविड के दौरान पंचायत की तरफ़ से हर किसी को उनके हक़ का राशन मिलता रहे। मैंने पंचायत में कोविड–19 सेंटर या स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने में मदद की और डॉक्टर ने कहा कि वे इसके लिए आभारी हैं। इस समय, मैंने अपने गाँव आने के सभी रास्तों पर नाकाबंदी भी की। मैंने ग्राम संगठन सदस्यों की मदद ली और इसे

सुनिश्चित किया कि कोई भी अजनबी इंसान गाँव में न घुसने पाए। जब भी कोई नया आदमी गाँव आता तो हम उससे पूछते कि वह क्यों आ रहा है। अगर गाँव लौटने वाला कोई प्रवासी मज़दूर होता तो हम पहले उसे 14 दिन के क्वारंटीन में भेज देते। कोविड–19 के दौरान अपने गाँव को सुरक्षित रखना ज़रूरी था।

ऐसे अनेक दूसरे मुद्दे हैं जिन पर मैंने काम किया। जैसे कि मैंने बच्चों के पोषण के बारे में आंगनवाड़ी और गाँववालों के बीच ग़लतफ़हमी को सुलझाया। मैंने एक दूसरी समता सखी का नाम ज़मीन के काग़ज़ों में जोड़ने में मदद की। मैं हिंसा से पीड़ित एक महिला को घरेलू हिंसा का मामला लिखाने के लिए लोक अधिकार केंद्र लेकर गई और हाल ही में मैंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए अपने गाँव की 280 महिलाओं का मार्गदर्शन किया।

जब मैं समता सखी बनी उसके बाद से मेरे भीतर काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। शुरू में, सरपंच होने के बावजूद मैं शायद ही कभी पंचायत जाती थी। पहले दो साल तो मेरे परिवारवालों ने ही मना किया, वे कहते कि पंचायत सचिव काम सँभाल लेगा। समता सखी बनने के बाद, मैं सरपंच की अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक हो गई। मैंने कई मुद्दों पर पहल की और अब मेरा गाँव श्रेष्ठ गाँव है। यह साफ़–स्वच्छ है, और मेरे पंचायत ऑफिस में टेबल और कुर्सियाँ भी हैं। शुरू में मैं खड़े होने और किसी के सामने बातें करने में झिझकती थी। लेकिन अब मैंने उस पर क़ाबू पा लिया है और मुझे काफ़ी हौसला भी आ गया है। शुरू–शुरू में समूह में सिर्फ़ लेन–देन होता था, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाते थे – पैसा निकालना और जमा करना बस। अब यह स्थिति बदल गई है और हम समूह में दूसरे सामाजिक मुद्दों पर भी बात करती हैं।

शुरू–शुरू में समता सखी के रूप में मेरे परिवार से मुझे बहुत समर्थन नहीं मिला था। लेकिन एक बार जब मैंने उनके अपने मुद्दे पर उनकी मदद करना शुरू किया, तब उन्होंने समझा कि मैं कुछ महत्वपूर्ण काम कर रही हूँ। मैंने अपनी देवरानी का नाम ज़मीन के काग़ज़ात में जोड़ने में मदद की, अपने देवर की दुकान के लिए समूह से क़र्ज़ लिया और अब मैं अपनी ननद की पढ़ाई के लिए ज़ोर भी दे रही हूँ। अब दो देवर हैं, उनकी पत्नियाँ हैं, मेरे सास–ससुर हैं जो हमारे साथ रहते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि मेरा काम न सिर्फ़ मेरे परिवार की दशा में सुधार लाएगा बल्कि समाज और मेरे गाँव की स्थिति भी बेहतर बनाएगा। मेरे पति मुझे मीटिंगों में जाने से नहीं रोकते क्योंकि वे सरपंच, ग्राम संगठन अध्यक्ष और समता सखी के रूप में मेरे काम की अहमियत को समझते हैं। मैंने अपने परिवारवालों को हमें मिली ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है और अब मैं अपने घर के सभी फ़ैसलों में पूरी तरह हिस्सा लेती हूँ। हमारे पास 30 बीघा ज़मीन है और पाँच बीघा मेरे नाम से है। घर में सभी लोग घर का काम मिल–बाँट कर करते हैं। अब मैं भी आज़ादी से कहीं आ–जा सकती हूँ, जबकि पहले मुझे दूसरे गाँव ले जाने और वहाँ से ले आने के लिए कोई चाहिए होता था।

दूसरी समता सखियाँ और मास्टर ट्रेनर मेरे करीबी दोस्त बन गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर वही मेरा सहारा बनते हैं। अपने सुख–दुख की बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। शुरू–शुरू में जब मैं काम करने के लिए बाहर जाने लगी तो मुझे गाँववालों की तरफ़ से बहुत सारे ताने और टिप्पणियों को सहना पड़ता था। ख़ास कर पुरुष बहुत बोलते थे। वे कहते, "यह तो मैडम बन गई।" चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलीं जब हमने इनमें से एक पुरुष के संकट के समय में उसकी मदद की। वह बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। हमारे समूह के पास बचत के रूप में 7000 रुपए थे, जिसको हम बैंक में जमा करना चाहती थीं। लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाना ज़रूरी था, तो हम महिलाएँ उसे अस्पताल लेकर गईं और एक महीने से अधिक समय तक उसके डॉक्टरी इलाज का ख़र्च चुकाया। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसने हम सभी महिलाओं को धन्यवाद कहा। अब जब भी मैं उससे मिलती हूँ, वह बड़े आदर और सम्मान से मिलता है। उसने दूसरे पुरुषों से भी बात की और उन्हें हमारे बारे में भला–बुरा कहने से मना किया। लेकिन कुछ पुरुषों ने ताना कसना जारी रखा। इसको रोकने के लिए हमने महिलाओं के साथ एक मीटिंग की और उन्हें बताया कि उनके पतियों के लिए किन–किन मुद्दों पर हम कौन–कौन से काम करती हैं। जब इन परिवारों को समूहों और संगठनों से क़र्ज़ मिला तब पुरुषों को अहसास हुआ कि इसमें उनकी भी भलाई है। एक दिन एक मीटिंग में कुछ पुरुष आए और उन्होंने हमें सुना। आख़िर में उन्होंने कहा कि वे हमेशा हमारी मदद करेंगे और वादा किया कि वे अब कभी भी हम पर ताना नहीं कसेंगे। तब से हमने गाँव में बदलाव महसूस किया है और अब कोई भी हमारे काम पर बातें नहीं बनाता है। पहले मैं अकेले काम किया करती थी, अब कई महिलाएँ और यहाँ तक कि पुरुष भी मेरी मदद करते हैं और साथ में काम करते हैं। पहले पंचायत में कोई महिला नहीं जाती थी। और आज की तारीख़ में देखो तो कोई पुरुष नहीं आता है, पूरी महिलाएँ आती हैं – मुझे बहुत गर्व होता है।

अब हर कोई मेरे काम की तारीफ़ करता है। एक बार श्योपुर में एक मीटिंग में डी.पी.एम. सर ने कहा कि समता सखियों के काम की वजह से ग्राम संगठन और समूह बखूबी काम कर रहे हैं। जब आनंदी का जेंडर जस्टिस प्रोग्राम कुछ समय के लिए रुक गया तब भी मैंने काम करना और लोक अधिकार केंद्र में जाना जारी रखा। मैंने हरेक से कहा कि भले ही प्रोजेक्ट अभी नहीं चल रहा हो लेकिन हमें उस रास्ते को नहीं छोड़ना है जो हमें दिखाया गया है और हमें उस पर आगे बढ़ते रहना है, चाहे हमें इसके लिए पैसा मिले या न मिले।

मैं अपने परिवार की स्थिति के चलते भले बहुत पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैं अपने बेटे और बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, उन्हें अच्छी नौकरी दिलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी एक नर्स बने ताकि वह लोगों की सेवा कर पाए और मैं अपने बेटे को एम.बी.बी.एस. (मेडिकल डॉक्टर) बनाना चाहती हूँ। अपने लिए, मैं चाहती हूँ कि काम जारी रखूँ और दूसरों की सेवा करती रहूँ। अब जब जेंडर जस्टिस प्रोग्राम दोबारा शुरू हो गया है, मुझे महसूस होता है कि इस समाज में योगदान करने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी सारा सहारा मेरे पास है।

2.4
अंकिता, समता सखी

नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है और मैं मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के गोत्र गाँव में पैदा हुई थी। मैंने कक्षा पाँच तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैं अपने पिता की दुकान में उनकी मदद करने लगी, क्योंकि मैं अपने भाई–बहनों में सबसे बड़ी थी। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई और मैं कराहल में एक गाँव में अपने ससुराल आ गई। मेरे पति दूसरों के खेतों में मज़दूरी करते थे और मैं अपने खेतों में – हमारे पास दस बीघे ज़मीन थी। बाद में हमने दस बीघे ज़मीन और ले ली। आमदनी के लिए मैं सिलाई भी करती थी और मैंने एक छोटी–सी किराना दुकान खोली थी। पहले मेरे पति भी दुकान पर बैठा करते थे, लेकिन इस साल वे गुज़र गए। उनके दो छोटे भाई और दो बहनें हैं और सबकी शादी हो चुकी है। अब मैं अपने सास–ससुर, एक देवर, उनकी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और मेरे बेटे 16 और 12 साल के हैं।

फोटो क्रेडिट : आनंदी

मैंने क़रीब 12 साल पहले एक समूह बनाया था जिसमें मेरे गाँव की दस महिलाएँ शामिल थीं। मैं उसकी सचिव बनी। हमने सिर्फ़ 100 रुपए से एक बैंक खाता शुरू किया और उसके बाद ग्राम संगठन का हिस्सा बन गए। मैं ग्राम संगठन और संकुल की सचिव भी थी। 2016 में मैं सी.आर.पी. बनी। संकुल की अध्यक्ष मेरे गाँव की थी और उसने समता सखी के लिए मेरा नाम आनंदी को सुझाया। शुरू–शुरू में मैं हिचक रही थी क्योंकि इलाक़े में अफ़वाह थी कि बाहरवाले आकर महिलाओं का अपहरण कर रहे हैं और उनकी किडनी भूटान में बेच रहे हैं। लेकिन आनंदी की दीदियाँ जब मुझे छोड़ने मेरे घर आईं और मेरे घर वालों से बातें कीं, तब उन्होंने मेरा डर दूर कर दिया। मैं समता सखी बन गई और आनंदी से मुझे पाँच दिनों की ट्रेनिंग मिली। मेरे पति ने बहुत सहयोग किया, उस समय भी जब मैं आवासीय ट्रेनिंग के लिए बाहर गई थी। मैंने ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सीखा। जैसे कि *किसका पलड़ा भारी* में हमने सीखा कि महिलाओं पर काम का कितना भारी बोझ होता है और पुरुषों को सारा काम महिलाओं पर नहीं डाल देना चाहिए, बल्कि उन्हें भी घर का काम करना चाहिए। ट्रेनिंग में *मेरा हक़, मेरी पहचान* और बाल विवाह पर भी चर्चा हुई थी।

जब मैं समता सखी बन गई, मेरा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। मैं अपनी ट्रेनिंग का उपयोग अपनी ज़िंदगी में करने लगी। समूह की मीटिंगों में मैं महिलाओं का हौसला बढ़ाती कि वे ग्राम सभा की मीटिंगों में आएँ। वे कहतीं, "यह तो पुरुषों की जगह है, हम कैसे जा सकती हैं?" मैं कहती कि ग्राम सभाओं में जाना और अपने मुद्दों को उठाना अपना अधिकार है और हमें ज़रूर जाना चाहिए। कुछ महिलाएँ थीं जिनको वृद्धावस्था पेंशन की ज़रूरत थी। उनमें से एक मेरे साथ ग्राम सभा में गई लेकिन वहाँ पुरुषों ने हमारी मदद नहीं की। तब मैं वापस लौटी, पाँच और महिलाओं को बुलाया और हम फिर से मीटिंग में गईं। इतनी सारी महिलाओं को एक साथ देख कर पुरुषों ने सम्मानजनक व्यवहार दिखाया और हमसे पूछा कि हम कौनसे मुद्दे उठाना चाहती हैं। हमने पेंशन की समस्या के बारे में बताया। हमने इस पर बात की कि इस पेंशन को पाने के हक़दार कौन लोग हैं और इसके लिए कौनसे काग़ज़ लगते हैं। बाद में मैंने सभी काग़ज़ तैयार किए और उन्हें पंचायत सचिव को सौंप दिया। जल्दी ही महिलाओं को पेंशन मिलने लगी। तब अपने पेंशन की माँग करने के लिए गाँव की दूसरी महिलाएँ भी आगे आईं और मैंने इस प्रक्रिया में उनकी मदद की।

समता सखी की ट्रेनिंग और कामकाज ने मुझे अपने और साथ–साथ दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने में मदद की है। दो साल पहले एक गैर आदिवासी आदमी ने मेरी पाँच बीघा ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया। उसने एक मशीन किराए पर उठाई और ज़मीन को खोदना शुरू किया। जब मैंने विरोध किया और उसने नहीं सुना तब मैं गाँव के मुखियाओं के पास गई। उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया लेकिन उन्होंने मुझे सलाह दी कि उस आदमी ने ज़मीन खोदने में जो पैसे ख़र्च किए हैं उसके मुआवज़े के रूप में मैं उसको 30,000 हज़ार रुपए दूँ। मैंने पैसे दे दिए, लेकिन वह आदमी नहीं माना। उल्टे वह अपने पूरे परिवार के साथ आया और झगड़ने लगा। उस झगड़े में मुझे चोट लगी। फ़ौरन मैंने जनपद कार्यालय में एक मैडम से संपर्क किया जिनको मैं लोक अधिकार केंद्र के ज़रिए जानती थी। मैडम बहुत मददगार थीं और उन्होंने लोक अधिकार केंद्र में मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे सी.ई.ओ. सर और तहसीलदार का फ़ोन नंबर दिया और पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी। लोक अधिकार केंद्र की मेरी सारी बहनों ने मेरी मदद की और मेरे गाँव के भी कुछ लोग मेरे साथ थाने आए। उन्होंने जाँचा कि यह आदिवासी भूमि है और इस पर मेरा अधिकार है। पुलिस ने हमदर्दी दिखाई और मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने कहा कि वह आदमी और मैं हम दोनों ही ग़रीब हैं और मैं उसे जेल नहीं भेजना चाहती। मैं बस अपनी ज़मीन वापस चाहती हूँ और इसको अपने नाम से रजिस्टर करवाना चाहती हूँ ताकि ऐसी कोई घटना फिर से न घटे। मेरे पास उस ज़मीन के काग़ज़ नहीं थे इसलिए मैं सी.ई.ओ., तहसीलदार और पटवारी से मिली और उन्होंने उस ज़मीन को मेरे नाम से दर्ज कराने में मेरी मदद की। पुलिस ने ज़मीन हथियाने वाले को थाने में बुलाया और मामला सुलझा लिया गया। समता सखी के रूप में मेरी भूमिका और ट्रेनिंग के चलते ही मैं अपनी ज़मीन वापस हासिल कर सकी। कुछ साल पहले ऐसा होता तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। लेकिन जबसे मैं समता सखी बनी हूँ, जानकारी मिली है और डर तो मेरा ख़त्म हो गया है।

मैंने अपने गाँव में जातिगत भेदभाव से भी लड़ने की कोशिश की है। एक स्कूल में एक आदिवासी कुक था जो मध्याह्न भोजन बनाता था। सिर्फ़ आदिवासी बच्चे ही स्कूल में भोजन करते थे। दूसरे बच्चे खाने के लिए घर जाते थे। एक दिन मैं स्कूल गई और शिक्षकों और बच्चों से बातें कीं। मैंने उनसे पूछा कि जब वे किसी रेस्टोरेंट में या अस्पताल में जाते हैं तो क्या वे कुक की जाति पूछते

हैं। मैंने उनसे यह भी कहा कि एक आदिवासी महिला के भीतर वही खून बहता है जो किसी दूसरे इंसान के भीतर बहता है। उन्होंने मेरी बात को समझा और उस दिन से सभी बच्चे साथ खाने लगे।

अब मुझे गाँववालों से काफ़ी सम्मान मिलता है। पहले वे मेरा मज़ाक़ उड़ाते थे और कहते थे कि मैं एक बड़ी मैडम बन गई हूँ, कि मैं रोज़ दस बजे बाहर जाती हूँ और मेरे पति मुझे डाँटते तक नहीं! मुझे याद है मैं उन्हें जवाब देती कि अगर पुरुष लोग कर्मचारी हो सकते हैं तो महिलाएँ क्यों नहीं? अब हालात बदल गए हैं। मैंने अपने गाँव में काफ़ी सारा काम किया है और इसने मुझे सम्मान दिलाया है। अब हर बार जब मैं पंचायत कार्यालय जाती हूँ, सेक्रेटरी मुझसे सम्मान से मिलते हैं और बड़ा साहब वाली कुर्सी लाने को कहते हैं। हाल ही में विधवा पेंशन की समस्या लेकर मैं एक महिला के साथ पंचायत गई और फ़ौरन वे हमारे लिए दो कुर्सियाँ लेकर आए। सचिव ने ध्यान से हमारी बात सुनी और फ़ौरन ही विधवा पेंशन को जारी करने के लिए कार्रवाई की। पहले ये कर्मचारी लोग मेरी या किसी भी महिला की बात नहीं सुनते थे। यही सम्मान मुझे जनपद कार्यालय में भी मिलता है। एक बार गाँव की कुछ महिलाएँ किसी कर्मचारी से मिलने के लिए जनपद कार्यालय आई थीं। चपरासी ने उन्हें वापस लौटा दिया था। जब वे वापस लौट रही थीं तो मुझे मिल गईं और मैं फ़ौरन उन्हें लेकर लोक अधिकार केंद्र आई। महिलाओं को मेरे साथ देख कर चपरासी ने कहा, "अरे, मुझे नहीं पता था कि वे आपके साथ हैं मैडम, उन्हें बताना चाहिए था कि वे लोक अधिकार केंद्र जाना चाहती हैं।" न सिर्फ़ महिलाओं को उस दिन प्रवेश मिल गया, बल्कि उनका काम भी सुलझ गया, क्योंकि हमने उन्हें संबंधित कर्मचारियों से मिलवाने में मदद की।

इन बरसों में मेरे परिवार में भी हालात बदले हैं। शुरुआत में जब मैं समूह से जुड़ी थी, तब घर पर काफ़ी टकराव था। मैं हर चीज़ को लेकर बहुत डरी हुई रहती थी, झिझकती थी। मैं सुनती रही पर फिर मेरा दम बढ़ा। मैं अपनी समस्याओं को अपनी समूह की बहनों के साथ बाँटती और इससे मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता। पहले मुझे घर का ज़्यादातर काम करना पड़ता था। जब से मैंने समूह की मीटिंगों में जाना शुरू किया तब से मेरी सास और ननद घर के कुछ काम में हाथ बँटाने लगीं। लेकिन यह राहत अस्थायी थी, क्योंकि जैसे ही मैं घर लौटती, तब काम का वही बोझ रहता और वही समस्याएँ और झगड़े होते रहते। एक बार समता सखी बनने और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने किसी की नहीं सुनी। अब घर में मेरी बात को सुना जाता है। असल में, पाँच दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग के बाद, मैं अब एक दूसरी ही इंसान हूँ। मैंने अपने परिवार को बताया कि मैंने ट्रेनिंग में क्या सीखा और कैसे यह बहुत ज़रूरी है कि आदमी और औरत सभी काम मिल कर करें और फ़ैसले लेने में भी बराबरी से हिस्सा लें। मेरे पति समझ गए और बदलाव लाने पर राज़ी हुए। शुरू–शुरू में वे बहुत साथ नहीं देते थे, लेकिन धीरे–धीरे वे मेरे सबसे मज़बूत समर्थक बन गए। उन्होंने और मेरे बेटों ने घर के काम में सक्रियता से हिस्सा लेना शुरू किया। वे मुझे कभी बाहर जाने से नहीं रोकते थे; बल्कि वे मुझसे कहते रहते कि जितनी जल्दी हो सके मैं तैयार होकर निकल जाऊँ। जब मैं दिन भर के काम से थकी हुई लौटती तो मेरे लिए ख़ाना तैयार होता। यह बदलाव धीरे–धीरे आया और इसे लाने के लिए मैंने उनसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने उनसे बात की, उनको चीज़ें समझाईं और धीरे–धीरे उन्होंने समझा और बदल गए। मैंने दीदी लोगों को भी कहा कि लड़–झगड़ कर पति या बेटे से काम नहीं करा पाओगी। आपको प्यार से बोलकर ही काम करवाना पड़ेगा। जिस ज़मीन को मैंने वापस हासिल किया वह भी मेरे नाम से रजिस्टर हुई और मेरे पति ने इसका समर्थन किया। मेरे परिवार के सदस्य मुझसे सम्मान से पेश आने लगे हैं। जो रिश्तेदार पहले ताने और अपशब्द कहते थे अब उन्हें जब भी जनपद, तहसील या पंचायत में कोई काम होता है तो मेरे पास आते हैं। वे मुझे साथ चलने को कहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मैं गई तो उनका काम हो जाएगा।

मैं सोचती हूँ कि एक जेंडर समान समाज में सभी काम महिलाओं और पुरुषों में बराबर–बराबर बँटे होने चाहिए। और महिलाओं के नाम से ज़मीन, और घर होना चाहिए, जायदाद में उनका बराबर का अधिकार होना चाहिए। पति और पत्नी को मिल कर फ़ैसले लेने चाहिए और महिलाओं के ख़िलाफ़ कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अप्रैल 2021 में जब आनंदी जेंडर जस्टिस प्रोग्राम रुक गया था, मैंने काम करना जारी रखा, हालाँकि कोई मानदेय नहीं मिलता था। हम तो सिखाते रहे, सलाह देते रहे, जानकारी दी। मैंने देखने के लिए आंगनवाड़ियों और अस्पतालों का दौरा भी किया कि चीज़ें सही से चल रही हैं। मैंने गर्भवती महिलाओं से बातें कीं और उनकी जागरूकता बढ़ाई। मैंने 111 महिलाओं को कोविड–19 टीका लेने के लिए राज़ी किया। भले पैसा न मिले, लेकिन गाँव का सुधार करना है, इसलिए अपन काम करते रहे।

2.5
अदिति, मास्टर ट्रेनर

नमस्ते, मेरा नाम अदिति है और मैं शिवपुरी ज़िले में पैदा हुई थी। उसके बाद अपने माता–पिता और दो भाइयों के साथ भोपाल चली आई। मेरे पिता एक प्रेस में काम करते थे और मेरी माँ सरकारी अधिकारियों के यहाँ ख़ाना बनाती थी। दसवीं कक्षा की परीक्षाओं के दौरान ही मेरी शादी कर दी गई। मैं अपनी विज्ञान की परीक्षा नहीं दे पाई क्योंकि मेरी शादी ठीक उसी दिन थी। अपनी शादी के बाद, मैं कराहल चली आई और अपने ससुराल से मैंने कक्षा 12 पूरी की। मेरे ससुर मुझे रोकते थे क्योंकि उनको लगता था कि घर के काम में बाधा आएगी। लेकिन मेरे पति ने मेरा पूरा समर्थन किया। उनके दो भाई थे, और दोनों ही असमय चल बसे। फिर मेरे देवरों की बीवियों और बच्चों समेत पूरे परिवार का ज़िम्मा हमें उठाना पड़ा। वह बहुत मुश्किल समय था। मेरे पति के पास कोई काम नहीं था और हमने अपनी 10–15 बीघा ज़मीन से होने वाली आमदनी से सभी बच्चों को पाला। अब मेरे पति पंचायत के पंप का काम देखते हैं जिससे उन्हें आमदनी होती है। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मेरा बेटा आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों और दवाओं का काम करता है। मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में, और सिलाई का कुछ काम करके कमाती हूँ।

शादी के बाद जब मैं भोपाल से कराहल गाँव आई तो यह मेरे लिए भारी बदलाव था। यह एक दूसरी ही दुनिया लगती थी – मुझे यहाँ एडजस्ट होने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और इसमें कुछ समय लगा। पास के एक निजी स्कूल में मुझे पढ़ाने की नौकरी मिली जहाँ मेरे बच्चे भी पढ़ते थे। साथ ही साथ मैंने घर का सारा काम भी सँभाला और हमारे खेत में भी काम करती थी। यह भोपाल की मेरी ज़िंदगी से बहुत अलग था। मेरी सास गुज़र गई थीं और मुझे अपने घर की हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता था, सारा ख़ाना–पीना और साफ़–सफ़ाई मुझे ही देखनी पड़ती थी। मुझे पुराने चूल्हे पर लकड़ी जला कर ख़ाना बनाना पड़ता था। गैस का सिलिंडर 2010 में जाकर मिला। लेकिन मैंने कोई काम करने से मना नहीं किया क्योंकि मुझे सीखने की धुन थी।

स्कूल में 15 साल तक पढ़ाने के बाद 2008 से मैं एक एन.जी.ओ. में काम करने लगी। तब से मैंने अलग–अलग मुद्दों पर कम से कम पाँच एन.जी.ओ. में काम किया है। मैं एक सामाजिक गणनाकार थी, और मैंने ग्राम कल्याण कर्मी के रूप में दो गाँवों में बच्चियों की शिक्षा और पोषण के बारे में महिलाओं को ट्रेनिंग दी। मैंने स्वास्थ्य, पोषण और साफ़–सफ़ाई पर एक प्रोजेक्ट में एक ट्यूटर के रूप में भी काम किया और महिलाओं को एक आंगनवाड़ी केंद्र में सिलाई सिखाई। फिर 2014 में मैं एक समूह से जुड़ी और इसकी अध्यक्ष बनी। साथ में मैं ग्राम संगठन की सदस्य भी बनी। उसके बाद मैं एक संकुल में प्रेरक का काम करने लगी। मुझे बैंक मित्र की ट्रेनिंग भी मिली और ग्वालियर में मैंने सी.आर.पी. की ट्रेनिंग ली। सी.आर.पी. के रूप में मैंने ग्राम संगठन और संकुल के सदस्यों और पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी और मुझे संकुल संयोजक बनाया गया। 2019 में, आनंदी ने मास्टर ट्रेनर के पद के लिए मुझे एक लिखित परीक्षा में बैठने को कहा और मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे मास्टर ट्रेनर के रूप में चुन लिया गया। मैंने अपनी भूमिका के बारे में विस्तार से सीखा। आनंदी द्वारा आयोजित पाँच दिवसीय जेंडर ट्रेनिंग ने भी मुझे जेंडर के बारे में गहराई से समझने में मदद की। मास्टर ट्रेनर के रूप में मेरा कर्तव्य समता सखियों की मदद करना है और उनका मार्गदर्शन करते हुए उनके काम को पूरा करने में सहारा देना है। मुझे ख़ास तौर से मुश्किल मामलों में उनको गाइड करना होता है और ऐसी समस्याओं को सुलझाना होता है जो काम करने के दौरान उनके सामने आती हैं। मैं ट्रेनरों की ट्रेनर हूँ। समता सखियाँ जब गाँव–गाँव जाकर दूसरी महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं तो मैं उनकी मदद करने के लिए उनके साथ जाती हूँ। इस क्रम में मैंने जाना कि *मेरा हक़, मेरी पहचान* नामक टूल और उसके बाद *किसका पलड़ा भारी* महिलाओं तक अपनी बात पहुँचाने के लिए बहुत कारगर हैं। जब मैं महिलाओं को ट्रेनिंग के दौरान ध्यान लगा कर सुनते हुए देखती हूँ, और देखती हूँ कि वे हमारे समझाए गए मुद्दों से एक जुड़ाव महसूस कर रही हैं तो मुझे लगता है कि मेरा भी एक महत्व और प्रभाव है। मैं पंचायत के सदस्यों को भी सरकारी योजनाओं और ग्राम सभा के कामकाज के बारे में जानकारी देती हूँ। ट्रेनिंग लेने और देने से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने एक ही तरह के मुद्दों पर इतनी सारी महिलाओं के साथ काम किया है। इस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जो भी ज़रूरी क़दम हैं उनका एक विस्तृत ज्ञान मुझे हासिल हुआ है। योजनाओं की जानकारी मुझे ट्रेनिंग के दौरान पता लगी, लेकिन ज़मीन पर सामाजिक गतिविधि ने वास्तविक क़दमों को समझने में मेरी मदद की।

मैंने विभिन्न तरह की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी की है और उनका नेतृत्व भी किया है, चाहे हक़दारियों का सवाल हो या ज़मीन के मुद्दे हों, पानी का मुद्दा हो या घरेलू हिंसा के मामले हों। जब जैसी ज़रूरत होती है, हम वैसी तरकीबें अपनाती हैं। कराहल ब्लॉक के आदिवासी इलाक़ों में शिक्षा का कम स्तर, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी, और बाल विवाह बहुत आम है। हम गाँव के मुखिया से मिलती हैं; वे पारंपरिक मुखिया हैं, चुने हुए सरपंच नहीं हैं। उनसे बात करना और उनको राज़ी करना ज़रूरी होता है क्योंकि सारे गाँव वाले उनकी बात पर चलते हैं। मैंने समझा है कि सही समय पर, सही जगह पर, सही बात करना, यह बहुत ज़रूरी है। एक मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं सिर्फ़ समता सखियों की मदद ही नहीं करती बल्कि अगर वे अपने निजी जीवन या कामकाज में किसी मुश्किल का सामना कर रही हैं तो मैं उसको भी सुलझाती हूँ। जैसे कि एक बार मैंने समता सखियों के बीच एक छोटा–सा झगड़ा सुलझाया था। यह झगड़ा इसलिए हुआ था कि कोई समता सखी पहले मीटिंग में पहुँच जाती थी और कोई देर से। मैंने उन्हें साथ बिठाया और समझाया कि समय पर आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी इस बात को समझना भी है कि कुछ समता सखियाँ मीटिंग के लिए दूर से चल कर गाँव में आती हैं। और उनके लिए सहानुभूति भी रखनी चाहिए। असल में आने–जाने के साधनों की एक गंभीर समस्या है, क्योंकि सभी गाँवों में बस सेवा नहीं चलती है।

हम मिल–जुल कर काम करती हैं और मैं समता सखियों के बहुत क़रीब हूँ। हम निजी समस्याओं पर भी एक दूसरे के साथ चर्चा करती हैं और आपस में एक–दूसरे की मदद करती हैं। एक बार हमारी एक समता सखी को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा क्योंकि वह एक मीटिंग के बाद देर से घर पहुँची। हम लोग उसके घर गईं और उसके पति से बात की और उसे हमारी स्थिति और काम के बारे में समझाया। हमने उसे अपना रवैया बदलने पर मनाया। मैं मानती हूँ कि परिवारों के साथ मिल कर और एक दूसरे के साथ खड़ी होने से समता सखियों को अपनी निजी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है।

कभी–कभी कुछ मामले बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और मुझे ऐसी समस्याएँ सुलझानी पड़ी हैं ताकि टकराव न हो जाए। एक मामले में जब हम एक आदमी और एक महिला के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक अस्पताल गए तब एक डॉक्टर ने हमसे बुरा बरताव किया। जब हमने अपने काम के बारे में उसको समझाया, तब उसका व्यवहार बदला और उसने फ़ौरन प्रमाण पत्र जारी कर दिए। 2019 के अंत में भी एक और घटना हुई जिसमें हम एक विवाद में फँस गए। हम एक आदिवासी महिला के ख़िलाफ़ हुई हिंसा की एक शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने गए थे। ऐसा हुआ कि उसी दिन आदिवासी लोगों का एक दूसरा समूह भी वहाँ आया था जो सिख समुदाय के लोगों के ख़िलाफ़ एक अलग शिकायत लिखवाना चाहता था। वहाँ एक पत्रकार था जिसने दोनों मामलों का आपस में घालमेल कर दिया और अख़बार में इस ख़बर के साथ हमारा फ़ोटो छाप दिया कि समूह की महिलाएँ सिख समुदाय के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रही थीं। इससे भारी विवाद खड़ा हो गया। सिख समुदाय और पुलिस दोनों ने ही हमें पूछताछ के लिए बुलाया। हमने दोनों को ही यह बात समझाई कि यह ग़लतफ़हमी पत्रकार ने खड़ी की थी और कोई भी समता सखी इस मामले में शामिल नहीं थी। जब पुलिस ने ज़ोर दिया कि हम थाने चलें तब मैंने यह कहा कि क्योंकि हमारी दीदियाँ निर्दोष हैं, इसलिए हम थाने नहीं जाएँगी। लेकिन हम सहयोग करना चाहती थीं और हमने अधिकारी से कहा कि वह आकर मेरे घर पर या ज़रूरी हो तो गुरुद्वारे में भी मिल सकता है। वह मान गए। हम पुलिस अधिकारियों और सिख समुदाय के सदस्यों से मिलीं और ग़लतफ़हमी दूर हो गई। एक मास्टर ट्रेनर के रूप में, मुझे अपनी समता सखियों को बचाना था और ग़लतफ़हमी को दूर भी करना था ताकि शांति से मामला सुलझ जाए। कुछेक महीनों के बाद, जब हम अपने हाटबाज़ार के उद्घाटन के मौक़े पर अधिकारियों को बुलाने के लिए थाने गईं तो पुलिस सम्मान से पेश आई।

मेरी एक पहचान–सी बन गई है कि हर गाँव में दीदियाँ मुझे जानने लगी हैं। संकुल के सभी पदाधिकारी मेरे काम से ख़ुश हैं और यह स्वीकार करते हैं कि मैं समाज की भलाई के लिए काम कर रही हूँ। विभाग के अधिकारी भी मुझे पहचानते हैं और मुझे एक सक्षम मास्टर ट्रेनर समझते हैं। मैं ट्रेनरों की ट्रेनर हूँ और मुझे वह सम्मान मिलता है। इस पहचान ने भी मेरे प्रति मेरे परिवारवालों के रवैए को बदला है। एक बार मेरे पति किसी काम से कलक्टर ऑफिस गए थे। वहाँ सी.ई.ओ. सर उनसे मिले और उन्होंने कहा, "आप अदिति दीदी के पति हैं? प्लीज़ आइए और बैठिए।" मेरे पति को सचमुच इस पर गर्व हुआ कि सी.ई.ओ. सर मुझे जानते थे और उनके साथ आदर से पेश आए क्योंकि वे मेरे पति थे। जब घर के बाहर मेरी पहचान बढ़ी, तब मेरे परिवार ने भी मुझे पूरा समर्थन दिया। पहले वे उतना नहीं समझते थे, और देर–देर तक काम करने और आने–जाने पर टिप्पणी करते थे। एक समय ऐसा भी था

कि मेरे दिवंगत ससुर मेरे काम करने से नाखुश रहते थे और मुझे स्कूल जाने के लिए या किसी और काम के लिए पिछले दरवाज़े से निकलना पड़ता था। परिवार की दूसरी महिलाएँ भी मददगार नहीं थीं और कहती रहती थीं, "यह तो आवारा हैं, फ़ालतू घूमती हैं। पता नहीं कहाँ–कहाँ जाती हैं, किस–किस के साथ जाती हैं... कोई भी इसको लेने आ जाता है मोटर साइकिल पर।" मैं बहुत कुछ सुनती पर इसके बाद भी मैंने काम बंद नहीं किया।

धीरे–धीरे चीज़ें बदलीं। ख़ास कर जब मैं मास्टर ट्रेनर बन गई। मैंने काफ़ी साल काम किया था, लेकिन इसके बावजूद मुझमें उतना आत्मविश्वास नहीं था। ट्रेनिंग के बाद सामाजिक गतिविधि ने और सरकार और लोगों से मुझे मिली पहचान ने मेरा भरोसा कई गुना बढ़ा दिया। अब मुझे किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता है। मैं जेंडर के बारे में भी गहराई से समझती हूँ और जो कोई भी चीज़ ग़लत और अनुचित लगती है मैं उसका विरोध करने में सक्षम हूँ। अब मेरा परिवार मेरे काम को और दूसरों से मिलने वाले आदर को पहचानता है और इसने उनका रवैया पूरी तरह बदल दिया है। पिछले दो वर्षों से मैं अपने काम, अपने समय और घर के काम के बारे में फ़ैसले खुद ले रही हूँ। घर के बारे में कोई भी फ़ैसला लेने के समय हम सभी साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं और उसके बाद ही किसी फ़ैसले पर पहुँचते हैं। हरेक की राय सुनी जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तब सिर्फ़ एक आदमी ही घर के सभी फ़ैसले लेता था। मेरे पति और बेटा भी घर के कामों में हाथ बँटाते हैं और सिर्फ़ मेरे, मेरी बेटी और मेरी बहू के ऊपर ही इसकी ज़िम्मेदारी नहीं रहती। हरेक के नाम से उसका अलग बैंक खाता है; मेरे, मेरी बेटी और मेरी बहू के नाम से भी। पहले मैं अपनी सारी कमाई अपने पति को दे देती थी। अब मैं पैसे अपने खाते में रखती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है निकाल लेती हूँ। मैं परिवार पर ही ख़र्च करती हूँ, लेकिन इस पर नियंत्रण मेरा होता है। मैंने अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाई है। मेरी बेटी ने बी.एससी. और एम.एस.डब्ल्यू. (सामाजिक कार्य में मास्टर्स) किया है। अभी–अभी हमने उसकी शादी तय की है लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वह शादी के बाद काम करेगी। मैं दहेज़ के सख़्त ख़िलाफ़ हूँ। मैंने जब अपने बेटे की शादी की तो एक भी पैसा नहीं लिया और अपनी बेटी की शादी में भी कोई दहेज़ नहीं दूँगी।

यह साल बाढ़ और कोविड–19 के चलते बहुत ही मुश्किल रहा है। कोविड–19 के दौरान ज़्यादातर समता सखियाँ बहुत सक्रिय थीं और मैंने उन्हें टीकों के बारे में जागरूकता बनाने और अफ़वाहों और अंधविश्वास को फैलने से रोकने में मदद की। मैंने अपने गाँव में कोविड–19 के बारे में एक सर्वेक्षण किया और टीकाकरण केंद्र में दस दिनों तक ड्यूटी दी। समता सखियों को अप्रैल 2021 से मानदेय नहीं मिल रहा था लेकिन मुझे मासिक वेतन मिलता था। लेकिन हम सबने फ़ैसला किया था कि कोई हमारी मदद करे या न करे, जो काम हमने शुरू किया है उसको यहीं नहीं रोकेंगे। हमारा काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ़ समूह या संगठन की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि गाँव की सभी महिलाओं के लिए। असल में वंचित और कमज़ोर तबकों से आनेवाले सभी लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है, चाहे पुरुष हो या महिला। जेंडर असमानता सिर्फ़ महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव की ही बात नहीं है, यह अमीर और ग़रीब के बीच ग़ैरबराबरी की बात भी है। इसलिए चाहे जो हो, हम अपने गाँवों से ग़ैरबराबरी को हटाने के लिए काम करते रहेंगे।

2.6
समापन चर्चा

ये कहानियाँ सामुदायिक लीडर्स के अपने जीवन और कामकाज में आए बदलावों का एक लेखा–जोखा पेश करती हैं। ये वंचित महिलाओं की, ज़मीन से उठने वाली आवाज़ें हैं जो बता रही हैं कि वे लीडरशिप तक कैसे पहुँचीं। शुरुआत में कइयों में बहुत झिझक और बहुत कम आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने घरों और अपने समाजों में चुनौतियों का सामना किया। कुछ के परिवारों ने सहयोग किया, लेकिन कुछ को ऐसे हालात में आगे बढ़ना था जो बहुत अनुकूल नहीं थे। इन सभी के लिए संघर्ष करते हुए उनके सहकर्मियों के नेटवर्क, अधिकारों की उनकी समझ, हालात से निबटने के उनके कौशल और अपने काम के प्रति उनकी लगन ने बदलाव को लाने में मदद की। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं के लिए एक लीडर के रूप में मिली पहचान बहुत मायने रखती है। इसने उनके साहस को मज़बूत बनाया है, घर और घर के बाहर मुश्किल हालात का सामना करने में मदद की है, और सबसे बढ़ कर, इसने उन्हें इसका अहसास कराया है कि उनमें बदलाव लाने की ताक़त है। इनमें से कुछ समता सखियाँ आदिवासी समाज जैसे वंचित समुदायों से हैं। लेकिन एक लीडर के रूप में उभरने में यह बात कोई बाधा नहीं बनी। यह इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने कराहल जैसी जगह में काम किया जो व्यापक रूप से आदिवासी बहुल इलाक़ा है और इसलिए

एक लीडर के रूप में उनकी स्वीकार्यता स्थापित होने में आसानी हुई। असल में, इन कहानियों में इसका कोई ज़िक्र नहीं मिलता है कि आदिवासी महिलाओं के रूप में उन्होंने किसी विशेष चुनौती का सामना किया हो। लेकिन वे अपने समाजों में जातीय भेदभाव को पहचानती हैं और उन्होंने ऐसे भेदभाव को चुनौती देने के लिए काम किया है, जैसा कि अंकिता ने किया। शिक्षा के अभाव ने भी एक लीडर के रूप में उनके उभरने या प्रदर्शन में कोई रुकावट नहीं डाली। यहाँ जिन समता सखियों की कहानियाँ पेश की गई हैं, उनमें से कुछ शिक्षित हैं और कुछ नहीं हैं। लेकिन शिक्षा का स्तर जो भी हो, मुद्दों की उनकी समझ और मामलों के समाधान के लिए ज़रूरी क़दमों की उनकी जानकारी बेहतरीन रही है। शुरुआती विरोध और संदेहों को दूर करके उन्होंने अपने योगदान के लिए अपने समाज में आदर पाया, और उन्होंने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, खूब सारे संसाधन और सामाजिक पूँजी जुटाई है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उनमें से सभी को, चाहे उनकी शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, समता सखियों के रूप में अपनी भूमिकाओं को जारी रखने का मौक़ा दिया जाए। दुर्भाग्य से डॉक्युमेन्टेशन की ज़रूरत के चलते, एम.पी.एस.आर.एल.एम. की अपस्केल्ड जेंडर रणनीति में समता सखियों के चयन के लिए शिक्षा के स्तर को भी एक मापदंड के रूप में रखा गया है। इसकी वजह से श्योपुर ज़िले की कई मौजूदा समता सखियाँ बाहर हो जाएँगी जिन्होंने पहले ही प्रशंसनीय काम किया है और लीडर्स के रूप में खुद को स्थापित किया है। उनमें से कई ने तो प्रोजेक्ट रुकने के बाद भी काम करना जारी रखा, भले ही उन्हें ऐसे काम के लिए कोई मानदेय भी नहीं मिल रहा था। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि एम.पी.एस. आर.एल.एम. उनके योगदान पर विचार करते हुए उनके लिए ऐसे उपाय निर्मित करे ताकि वे सामुदायिक लीडरों और परिवर्तनकर्ताओं के रूप में अपनी भूमिकाओं को आगे बढ़ा सकें।

निष्कर्ष के रूप में कहें तो ये कहानियाँ बदलावों की, और बदलावों की प्रक्रियाओं की कहानियाँ हैं। जेंडर जस्टिस प्रोग्राम की मुख्य सफलताओं में से एक यह है कि यह क्षमता निर्माण और ज़मीनी गतिविधि को आपस में जोड़ने में सफल रहा, और समता सखियाँ वे नायिकाएँ हैं जिन्होंने इसको ज़मीन पर साकार किया। नज़रिए और गतिविधि में बदलावों की यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है और सभी भागीदारों के लिए यह ज़रूरी है कि इस सफ़र में अपना समर्थन जारी रखें।

फोटो क्रेडिट : सुमित सारास्वत/शटरस्टॉक

नोटः

ICRW
INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN
PASSION. PROOF. POWER.

ICRW Asia
Module No 410, Fourth Floor
NSIC Business Park Building
Okhla Industrial Estate
New Delhi – 110020, India
Tel: 91.11.46643333
E-mail: info.india@icrw.org
www.icrw.org/asia
@ICRWAsia
@ICRWAsia

ICRW US
1120 20th St NW, Suite 500 North,
Washington, D.C. 20036
Tel: 202.797.0007
E-mail: info@icrw.org
www.icrw.org
@ICRWDC
@ICRW

Design: Roots Advertising Services